मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

पशुपालन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
मंत्री	माननीय सुश्री कुसुम सिंह महदेले	2441006	2429863 2429698
अपर मुख्य सचिव एंव कृषि उत्पादन आयुक्त	श्री पी.सी.मीणा	2441348	2420340
प्रमुख सचिव	श्री प्रभांशु कमल	2760262	2424619
उप सचिव	श्रीमती कमला अजीतवार	2512184	–
पदेन अवर सचिव	डा0 आर0के0 शर्मा	2550888	2430272

विभागाध्यक्ष

पद नाम	नाम	दूरभाष	
		कार्यालय	निवास
संचालक पशुपालन	डा0 आर0के0 रोकड़े	2772262	2765340
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट को–आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	श्री शोभित जैन	2602145	
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम	डा0 एच.बी.एस. भदौरिया	2776086	2980223
प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड	डा0 आर0के0 रोकड़े	2776310	2765340

विषय सूची

भाग	विषय	पृष्ठ
एक	1.1 विभागीय संरचना	1
	1.2 अधीनस्थ कार्यालय	2
	1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम मण्डलों का विवरण	2
	1.4 विभाग का उद्देश्य	3
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	3
	1.6 तकनीकी कार्य	3
	1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एंव संवर्धन	4–5
	1.8 नस्ल सुधार	5–10
	1.9 महत्वपूर्ण सांख्यिकी	10–12
दो	**बजट विहंगावलोकन एंव बजट प्रावधान एंव व्यय**	13
तीन	**राज्य योजनाए तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**	14
	3.1 राज्य योजनाएं	14–19
	3.2 अन्य योजनाएं	19–23
	3.3 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	25–25
	3.4 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं	26–36
	3.5 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजना	36
	3.6 पशुपालन विभाग अन्तर्गत जेण्डर मुद्दों से संबंधित जानकारी	37–38
चार	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र/कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र	39–41
पांच	**सामान्य प्रशासनिक जानकारी**	42–44
छः	**विभागीय उपलब्धियां**	45–46
सात	**विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियां**	47
	7.1 म.प्र.राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम	47–48
	7.2 एम.पी. स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	49–51
	7.3 म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड	51–53
	7.4 पशु रोगी कल्याण समिति, म.प्र.पशु चिकित्सा परिषद्	53–54
आठ	परिशिष्ट एक –जिलेवार पशु संगणना 2012	55–56
	परिशिष्ट दो – 19वीं पशु संगणना में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी	57
	परिशिष्ट तीन– देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के पशु उत्पादों की जानकारी	58
	परिशिष्ट चार –जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा,मांस की जानकारी	59
	परिशिष्ट पांच–प्रजनन योग्य गौ–भैंस (मादा पशु) की जानकारी	61–62
	परिशिष्ट छः –म.प्र. में पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पशुधन स्थिति	63–64

भाग – एक

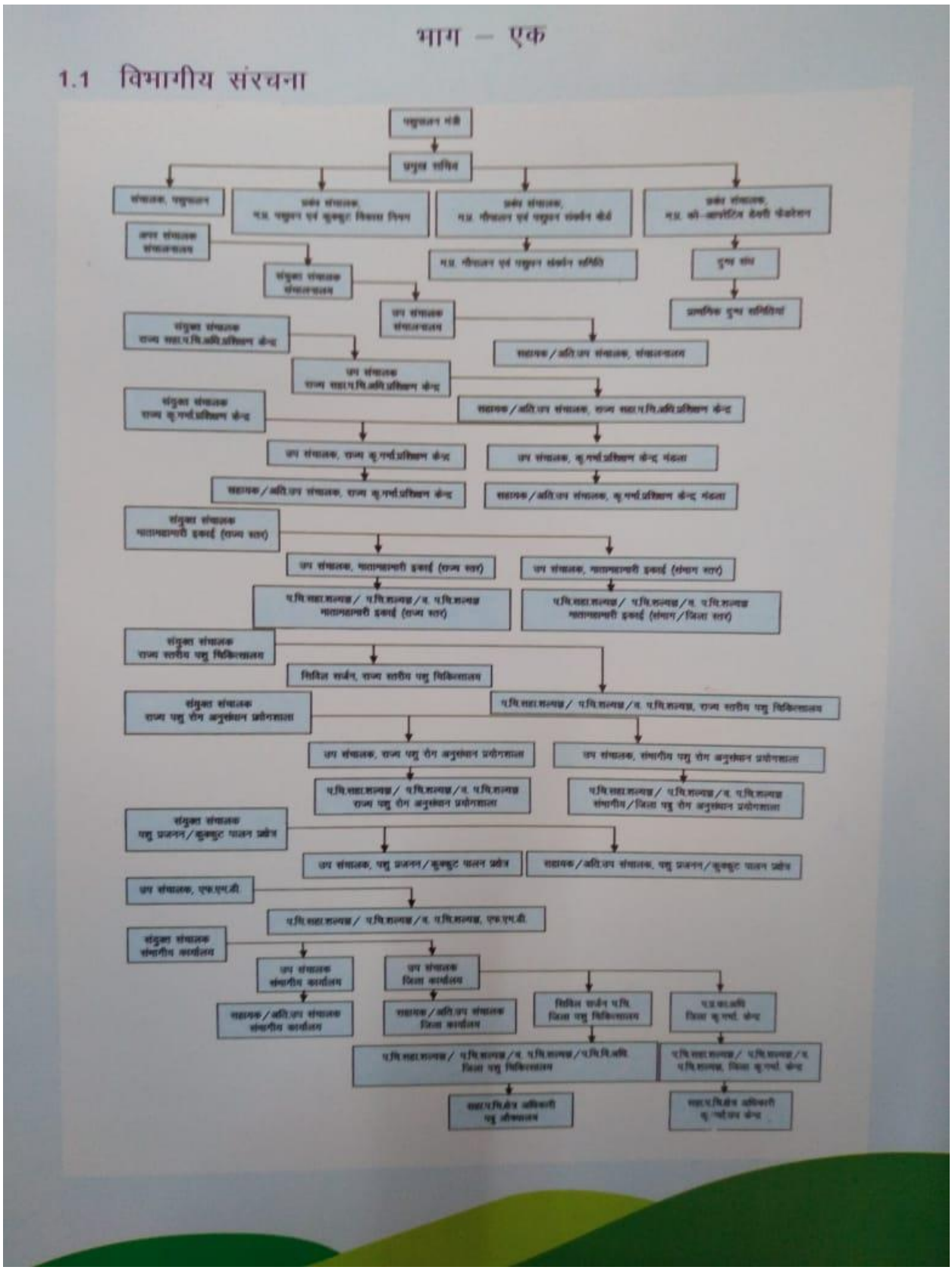

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

1.2.1 संचालनालय पशुपालन,

1.2.2 पशु स्वास्थ्य एंव जैविक उत्पाद संस्थान महू जिला इन्दौर,

1.2.3 संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, समस्त संभाग,

1.2.4 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं समस्त जिले,

1.2.5 राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, भोपाल,

1.2.6 माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम म0प्र0, भोपाल,

1.2.7 मुँहखुरी रोग व्यापकी इकाई, भोपाल,

1.2.8 कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल/मंडला,

1.2.9 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी,

1.2.10 राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल,

1.2.11 जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)

1.2.12 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़) आगर (शाजापुर) रोड़िया (खरगौन) रतौना (सागर) इमलीखेड़ा (छिंदवाड़ा) गढ़ी (बालाघाट) पवई (पन्ना)

1.2.13 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर)

1.2.14 भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी), मिनौरा (टीकमगढ़),बांसाखेड़ी (मंदसौर)

1.2.15 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एंव अनुसंधान केन्द्र भोपाल,

1.2.16 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, इन्दौर/ ग्वालियर/ रीवा/ शहडोल/ छिंदवाड़ा/ झाबुआ/गुना,

1.2.17 कुक्कुट प्रशिक्षण विद्यालय,रीवा

1.3 विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम/ निगम/मंडलों/ परिषद्/ संस्थानों का विवरण

1.3.1 मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड,

1.3.2 मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

1.3.3 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम,

1.3.4 म0प्र0पशु चिकित्सा परिषद,

1.3.5 नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

1.4 विभाग का उद्देश्य

पशुपालन विभाग का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एंव संरक्षण के माध्यम से पशुधन एवं कुक्कुट उत्पाद में वृद्धि करना तथा कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को पशुपालन के माध्यम से आर्थिक लाभ पहुॅचाना है।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1 नवम्बर, 1956 को मध्यप्रदेश के गठन उपरान्त 20 मई,1962 को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही पृथक से संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवाएं स्थापित किया गया। वर्ष 1981में पशुपालन विभाग को कृषि विभाग से पृथक करते हुए स्वतंत्र रुप से अस्तित्व में लाया गया। 4 फरवरी 2011से संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं का नाम परिवर्तन कर संचालनालय,पशुपालन किया गया है।

1.5.1	प्रदेश का कुल क्षेत्रफल (हजार वर्ग किलोमीटर में)	308
1.5.2	प्रदेश की कुल जनसंख्या (लाख में जनगणना 2011)	726
1.5.3	प्रदेश में कुल पशुधन संख्या(लाख में पशु संगणना2012)	363
1.5.4	प्रदेश की कुल गौवंशीय पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	196
1.5.5	प्रदेश की कुल भैंसवंशीय पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	82
1.5.6	प्रदेश की कुल भेड़ा–भेड़ी पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	3
1.5.7	प्रदेश की कुल बकरा–बकरी पशु (लाख में पशु संगणना 2012)	80
1.5.8	प्रदेश की कुल कुक्कुट (लाख में पशु संगणना 2012)	119

1.6 तकनीकी कार्य

1.6.1 पशु चिकित्सा सेवाएं अन्तर्गत पशु रोगों की रोकथाम तथा उसका उपचार,

1.6.2 पशु रोग अन्वेषण,

1.6.3 टीकाकरण,

1.6.4 बधियाकरण,

1.6.5 पशुपालन अन्तर्गत समग्र पशुधन का संरक्षण/ संवर्धन एंव विकास,

1.6.6 समुन्नत प्रजनन,

1.6.7 पशुपालन विस्तार सेवा,

1.6.8 पशुधन विकास कार्यो का पर्यवेक्षण,

1.6.9 कुक्कुट पालन, प्रजनन, संवर्धन,

1.6.10 दुग्ध, दुग्ध उत्पादों, अण्डों, मांस की जांच गुणवत्ता नियंत्रण,

1.6.11 डेयरी गतिविधियों का सर्वेक्षण, विस्तार, विकास साँख्यिकी,

1.6.12 सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिसका विभाग से संबंध हो,

1.7 पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन

1.7.1 पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, संभागीय पॉलीक्लिनिक, जिला/ विकासखण्ड/ ग्राम स्तरीय पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, चल चिकित्सा इकाई, चल विरूजालय, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, स्टेट पेटर्न कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, मुख्य ग्राम खण्ड योजना, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं एवं टीकाद्रव्य उत्पादन हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में संचालित है।

पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा पशु उपचार, औषधि वितरण, टीकाकरण, नमूनों की जांच आदि से की जाती है। पशुओं का उपचार न केवल पशु चिकित्सालयों व पशु औषधालयों में किया जाता है बल्कि चल पशु चिकित्सा इकाई/ विरुजालय व पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके भी किया जाता है।

1.7.2 संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समसामयिक टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार विन्दुओं पर ब्लू प्रिंट तैयार किए जाते हैः–

1.7.2.1 ऐसे ग्रामों की 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों के समस्त पशु जहाँ गत् तीन वर्षो में किसी संक्रामक रोग का उद्भेद हुआ हो।
1.7.2.2 ग्वारियों में जाने वाले पशु।
1.7.2.3 प्रदेश के बाहर आवागमन मार्गो से आने–जाने वाले पशु।
1.7.2.4 पशु बाजार में बाहर से आने वाले पशु।
1.7.2.5 वन क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों के पशु।

1.7.3 संक्रामक रोगों में मुंहपका खुरपका रोग(एफ.एम.डी), एकटंगिया अथवा चुरकारोग (बी.क्यू), गलघोंटू अथवा घटसर्प रोग (एच.एस.) छड़ (एंथ्रेक्स), पी.पी.आर. स्वाईनफीवर, एंट्रोटोक्सिमिया, रैबीज, रानीखेत (कुक्कुट) , फाउलपॉक्स (कुक्कुट), स्पाईरोकीटोसिस (कुक्कुट), मैरेक्स (कुक्कुट), गंबोरो (कुक्कुट) का टीकाकरण किया जाता है।

1.7.4 प्रदेश में पशु संसर्गजन्य रोगों (contagious) के रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पादन संस्थान महूँ जिला इन्दौर में चार प्रकार के जीवाणु टीकों, दो प्रकार के टिशू कल्चर (विषाणु) टीकों सहित कुल 12 प्रकार के टीके तथा तीन प्रकार के टीका घोलकों का उत्पादन किया जाता हैं। मुंहपका खुरपका व पी.पी.आर. रोग को छोड़कर समस्त संक्रामक रोगों के टीकाद्रव्य का उत्पादन इस संस्थान में किया जाता है।

1.7.5 यह संस्थान प्रदेश में टीकाद्रव्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य को भी आवश्यकतानुसार टीकाद्रव्य प्रदाय किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में देश के अन्य राज्यों को भी टीकाद्रव्य उपलब्ध कराया जाता है।

1.8 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति

प्रदेश की कृषि क्षेत्रक गतिविधियों के विकास एवं गरीबी उन्मूलन में पशुपालन के महत्व के दृष्टिगत पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011तैयार की गई है। पशुधन विकास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं ।

1.8.1 विभिन्न पशुधन विकास एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए एक समान रणनीति न अपनाते हुए कृषि जलवायु तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित कार्यक्रम बनाए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

1.8.2 लघु एवं संसाधन विहीन पशुपालकों को पशुधन उत्पादन वृद्धि में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से कम लागत मूल्य पर अधिकाधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए हैं ।

1.8.3 पशुधन विकास कार्यक्रमों का वातावरण में प्रभाव, समान अवसर, महिलाओं को सीधा लाभ तथा स्थिरता जैसे मुद्दों को भी नीति में समाहित किया गया है।

1.8.4 पशुधन क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत संरचना एवं प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए विभागीय अमले की दक्षता उन्नयन संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है ।

1.8.5 पशुधन विकास नीति में सार्वजनिक/निजी/किसान/गैर सरकारी संस्थाओं की साझेदारी को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है।

1.8.6 पशुधन उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रमों के विस्तार एवं कियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

1.8.7 विभिन्न कार्यक्रमों के अग्रगामी एवं पश्चगामी जुडावों का ध्यान भी नीति में खा गया है ताकि पशुधन उत्पादों के संकलन, प्रसंस्करण एवं उनका लाभात्मक विपणन सुनिश्चित किया जा सके।

1.8.8 पशुधन विकास नीति गतिमान स्वरूप की होने के फलस्वरूप समय–समय पर पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप शिथिलता समाहित किए हुए है ।

1.9 नस्ल सुधार

प्रदेश में उपलब्ध पशुओं में मुख्यतः अवर्णित नस्ल के पशु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन पशुओं की उत्पादक क्षमता बहुत कम है इनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि के लिए प्रदेश में नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालित हैं। इस कार्यक्रम के तहत् कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार किया जाता है। प्राकृतिक गर्भाधान में उच्च कोटि के सांडों से मादा पशुओं में प्राकृतिक गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। इसी प्रकार कृत्रिम गर्भाधान में उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम विधि द्वारा मादा पशुओं में गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार किया जा रहा है। प्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार उपलब्ध 109.05 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं में से लगभग 57.53लाख मादा पशुओं को विभाग की संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में प्रदाय उन्नत नस्ल के लगभग 14768 सांडों/पाड़ों द्वारा नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

1.9.1 प्रदेश के देशी वर्णित पशुधन

1.9.1.1 मालवा क्षेत्र के शाजापुर, देवास, इन्दौर, उज्जैन व राजगढ़ जिलों में मालवी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।
1.9.1.2 इसी प्रकार निमाड़ क्षेत्र के खरगौन, बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं।
1.9.1.3 टीकमगढ़ व पन्ना क्षेत्र में केनकाठा नस्ल के गौवंशीय पशु अपनी भारवाहक क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।

1.9.1.4 भैंस वंश में भदावरी उत्तरी मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में पाई जाती है जो कि दुग्ध उत्पादन हेतु तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है।
1.9.1.5 मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा धार जिले में प्रदेश की महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त कुक्कुट नस्ल कड़कनाथ पाई जाती है। इसके सरंक्षण तथा संवर्धन हेतु विभाग में कड़कनाथ प्रक्षेत्र झाबुआ में संचालित है।

1.9.2 पशु प्रजनन नीति

1.9.2.1 गौवंशीय पशु प्रजनन नीति

प्रदेश के गौ–वंशीय पशुओं के प्रजनन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैंः–

1.9.2.1.1 स्थानीय गौ–नस्ल के संरक्षण हेतु नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स के शाजापुर,उज्जैन,राजगढ़ जिले में मालवी नस्ल से, निमाड़ क्षेत्र के खरगौन,बड़वानी जिलों में निमाड़ी नस्ल से एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिला पन्ना व छतरपुर जिले की लौड़ी तहसील में केनकाठा नस्ल से चयनित प्रजनन।

1.9.2.1.2 ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विशेष अनुसार स्थानीय अवर्णित नस्लों का देशी वर्णित नस्ल से उन्नयन। मुख्यतः हरियाणा,साहीवाल,थारपारकर व गिर नस्ल से।

1.9.2.1.3 शहरी, अर्द्धशहरी, मिल्कशेड व औद्यौगिक क्षेत्र में जर्सी व हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन। सामान्यतः विदेशी रक्त (Exotic Blood Level) का स्तर 50 प्रतिशत तक एवं प्रगतिशील पशुपालकों की इच्छानुसार विदेशी रक्त का स्तर 62.5 प्रतिशत तक।

1.9.2.1.4 उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रजनन नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश को निम्नलिखित सात जोन में विभाजित किया गया है––

1.9.2.1.4.1 जोन I उत्तरीय नदी घाटी

इस जोन के अन्तर्गत भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर तथा दतिया का अल्प भाग आता है एवं इस जोन में हरियाणा नस्ल की तरह व श्रेणीकृत द्विउद्देशीय गौवंशीय पशु पाए जाते हैं। साधारणतः ये पशु आंशिक स्टाल फीडिंग प्रणाली में पाले जाते हैं। इस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति हरियाणा नस्ल के होम ट्रेक्ट से मिलती जुलती है, अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन किया जाएगा। पशुपालकों की मांग पर शहरी एवं अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन भी किया जा सकता है।

1.9.2.1.4.2 जोन II लैट्रेटिक बेल्ट आफ शिवपुरी

इस जोन के अन्तर्गत शिवपुरी जिला एवं गुना का उत्तरी हिस्सा आता है एवं इस क्षेत्र के गौवंशीय पशु सामान्यतः गहरे लाल रंग के औसत कद काठी के हैं जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं किन्तु इनका दुग्ध उत्पादन कम है। अतः इस जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी वर्णित नस्ल जैसे हरियाणा, थारपारकर से उन्नयन किया जाएगा। चूँकि शिवपुरी जिला मिल्क शेड में आता है, इसलिए शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में जर्सी नस्ल से संकर प्रजनन अनुशंसित है।

1.9.2.1.4.3 जोन III मालवा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, धार, उत्तरी झाबुआ, मंदसौर एवं नीमच जिले आते हैं एवं इस क्षेत्र में मुख्य रूप से द्विउद्देशीय गाय की मालवी नस्ल पाई जाती है। इस जोन के अन्तर्गत उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील, राजगढ जिले की खिलचीपुर, जीरापुर तहसील एवं आगर व शाजापुर जिले की आगर एवं शाजापुर तहसील में मालवी नस्ल से चयनित प्रजनन किया जाएगा एवं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की मांग अनुसार मालवी एवं थारपारकर अथवा गिर नस्ल से उन्नयन तथा शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, एच. एफ. से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

1.9.2.1.4.4 जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट

इस जोन के अन्तर्गत अलीराजपुर जिले की अलीराजपुर तहसील, धार जिले की कुक्षी व मनावर तहसील, जिला खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा जिले की हरदा तहसील तथा बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील आती है। इस जोन में गाय की निमाड़ी नस्ल के पशु पाए जाते हैं जो एक भार वाहक नस्ल है। इस जोन के मिल्क शेड क्षेत्र में विदेशी नस्ल-जर्सी से संकर प्रजनन तथा पश्चिम निमाड़-खरगोन व बड़वानी, जिलो में निमाड़ी नस्ल चयनित प्रजनन, पूर्वी निमाड़-खण्डवा, बुरहानपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निमाड़ी नस्ल से चयनित प्रजनन तथा शेष शहरी व मिल्क क्षेत्र में विदेशी नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

1.9.2.1.4.5 जोन V पश्चिमी विंध्य पठार व नर्मदा घाटी

इस जोन के अन्तर्गत जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, दमोह जिले की दमोह तहसील, छिंदवाडा जिले की अमरवाडा तहसील तथा सिवनी जिला (कुरई विकास खण्ड छोड़कर) आता है एवं इस जोन क्षेत्र में अवर्णित नस्ल के देशी पशु पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार जोन के ग्रामीण क्षेत्र में थारपरकर नस्ल से उन्नयन तथा मिल्क शेड व शहरी क्षेत्र में विदेशी नस्ल जर्सी, हॉलिस्टिन फ्रिजियन से संकर प्रजनन तथा छत्तीसगढ से जुड़े कुछ क्षेत्रों में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है।

1.9.2.1.4.6 जोन VI पूर्वी विंध्य पठार

इस जोन के अन्तर्गत दमोह जिले की हटा तहसील, जबलपुर की मुडवारा तहसील एवं जिला रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर,टीकमगढ़ तथा सीधी जिले का उत्तरी क्षेत्र आते हैं एवं इस जोन की केन घाटी में पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील क्षेत्र केनकथा नस्ल का होम लैण्ड है। यह नस्ल प्रसिद्ध भारवाहक नस्ल है जो पहाड़ी क्षेत्र

के लिए उपयुक्त है। केनकथा नस्ल के श्रेणीकृत पशु पन्ना जिले से जुड़े हुए छतरपुर के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। प्रजनन नीति अनुसार केन नदी घाटी के अजयगढ तहसील के साथ पन्ना में केनकथा नस्ल से चयनित प्रजनन, जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा नस्ल से उन्नयन तथा शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल से संकर प्रजनन किया जाना लक्षित है।

1.9.2.1.4.7 जोन VII पूर्वी सतपुडा का पठार

इस जोन के अन्तर्गत जिला बालाघाट एवं सिवनी जिले के लखनादोंन तहसील से पूर्वी क्षेत्र की ओर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले तक इस क्षेत्र में देशी अवर्णित नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इस जोन के शहरी क्षेत्र में जर्सी हॉलिस्टिन फ्रीजियन से संकर प्रजनन तथा ग्रामीण क्षेत्र में थारपारकर एवं छत्तीसगढ राज्य से जुडे क्षेत्र में साहीवाल नस्ल से उन्नयन किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, नागपुर जिलों से जुडे मध्यप्रदेश के छिंदवाडा, सिवनी, बालाघाट व बैतूल जिलों के चयनित पाकेट में गौलव नस्ल से उन्नयन किया जाना अनुशंसित है।

1.9.2.2 भैंस वंशीय पशु प्रजनन नीति

सामान्यतः प्रदेश में अवर्णित नस्ल के भैंस वंशीय पशु तथा ग्रेडेड मुर्रा पशु पाए जाते हैं। मात्र उत्तरी नदी घाटी के जिला भिण्ड में भदावरी व ग्रेडेड भदावरी भैंस वंशीय पशु पाए जाते हैं।

जोन I–

उत्तरी नदीघाटी के जिला भिण्ड एवं जिले से जुड़े ग्वालियर संभाग के जिलों के चयनित क्षेत्र में भदावरी नस्ल से उन्नयन।

जोन II–

मालवा का पठार एवं ब्रीडिंग जोन IV निमाड़ी ट्रेक्ट क्षेत्र के कुछ भाग–दक्षिण पूर्वी गुजरात से जुड़े शहरों के कुछ भाग में जाफरावादी नस्ल से उन्नयन। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष रहे सम्पूर्ण प्रदेश में मुर्रा नस्ल से उन्नयन।

1.9.2.3 छोटे पशुओं की प्रजनन नीति

1.9.2.3.1 राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारबरी बकरों की नस्ल से उन्नयन तथा प्रदेश के शेष क्षेत्र में जमनापारी नस्ल से उन्नयन लक्षित है।

1.9.2.3.2 कॉरीडेल, रेम्बोलेट की संकर भेड़ नस्ल से स्थानीय भेंड़ों का उन्नयन लक्षित है।

1.9.2.3.3 मिडिल व्हाइट यार्कशायर सूकर नस्ल से स्थानीय सूकरों का उन्नयन लक्षित है

तालिका 1.1
प्रदेश में पशु स्वास्थ्य रक्षा एवं संवर्धन हेतु संचालित संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	पशु चिकित्सालय	1061
3	पशु औषधालय	1537
4	चल पशु चिकित्सा इकाई	38
5	चल विरुजालय	27
6	रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	32
7	मुंहखुरी रोगव्यापकी इकाई	1
8	पशु स्वास्थ्य एंव जैविक उत्पाद् संस्थान	1
9	सीरम संस्थान	1
10	उप संचालक माता महामारी (राज्य स्तर)	1
11	पशु जांच चौकी	19
12	अनुगामी इकाई	10
13	सतर्कता इकाई	7
14	सघन टीकाकरण इकाई	7
15	रोग शमन दल	2
16	पशु निरोधस्थल (क्वारनटाइन स्टेशन)	1
17	फ्रोजन सीमेन बुल स्टेशन	1
18	फ्रोजन सीमेन बैंक	5
19	मुख्य ग्राम योजना	38
20	मुख्य ग्राम इकाई	380
21	नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम	4
22	नियंत्रित पशु प्रजनन उपकेन्द (खिलचीपुर–50,खरगौन–25,अजयगढ़–25,डिण्डोरी–25)	125
23	स्टेट पैर्टन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	16
24	स्टेट पैर्टन कृत्रिम रेतन उपकेन्द्र	141
25	गहन पशु विकास परियोजना	17
26	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	60
27	गहन पशु विकास कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	904
28	कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान	2
29	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	1
30	नानाजी देखमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	1
31	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय	3
32	पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय	5

तालिका 1.2
पशु स्वास्थ्य रक्षा की विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

क्रं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16 (माह दिसम्बर तक)
1	पशु उपचार	74.03	91.25	81.21
2	औषधि वितरण	52.54	68.83	57.46
3	टीकाकरण	193.75	194.41	202.95
3	नमूनों की जाँच	3.96	4.51	2.79

.

तालिका 1.3
पशु संवर्धन व उन्नत प्रजनन हेतु विगत तीन वर्षो की जानकारी (लाख में)

क्रं0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16 (माह दिसम्बर तक)
1	कृत्रिम गर्भाधान	12.77	23.88	16.63
2	कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन	4.31	4.79	5.73
3	प्राकृतिक गर्भाधान	3.46	4.15	3.57
4	प्राकृतिक गर्भाधान से वत्सोत्पादन	1.86	2.39	2.05
5	बधियाकरण	5.96	6.93	5.88

1.10 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय

भारत विश्व के उन राष्ट्रों में से एक है जिनकी आर्थिकी पशुधन पर निर्भर है व सर्वाधिक गौ व भैंसवंश वाला राष्ट्र है। एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुमानित उत्पादनों के अनुसार वर्ष 2014–15 में देश में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में चौथा, अण्डे उत्पादन में पन्द्रहवां एवं मांस उत्पादन में सोलहवां स्थान है।

तालिका 1.4

19वीं पशु संगणना 2012 एवं 18वीं पशु संगणना 2007 की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	विवरण	19वीं पशु संगणना 2012	18वीं पशु संगणना 2007	प्रतिशत् वृद्धि / कमी
1	गौवंशीय पशु	1,96,02366	2,19,15,438	−10.5
2	भैंस वंशीय पशु	8187989	91,29,152	−10.3
3	भेंड़ा/भेंड़ी	3,08,953	3,89,863	−20.8
4	बकरे/बकरियॉ	80,13,936	90,13,687	−11.1
5	घोड़े/घोड़ियां	18,803	27,191	−30.8
6	खच्चर	6,989	2,617	+167.1
7	गधे	14,916	20,199	−26.2
8	ऊँट	3,422	4,456	−23.2
9	सूअर	1,75,253	1,92,941	−9.2
	कुल पशुधन	**3,63,32,627**	**4,06,95,544**	**−10.7**
10	कुत्ते	4,33,367	−	
11	खरगोश	3,679	−	
	कुल कुक्कुट	119,04,716	73,84,318	+61.2

''स्त्रोतः 18वीं एंव 19वीं पशु संगणना जिलेवार पशुधन संख्या परिशिष्ठ एक में दी गई है।

तालिका 1.5

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध,अण्डा एवं मांस उत्पाद् के वर्षवार आँकड़े

क्रं	विवरण	वर्ष				
		2010−11	2011−12	2012−13	2013−14	2014−15
1	दुग्धोत्पादन (000मे.टनमें)	7514	8149	8838	9599	10779
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	7577	7972	8712	9671	11776
3	मांस उत्पादन (000मेंटनमें)	38	39	43	48	59

स्त्रोतः− भारत सरकार की एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

तालिका 1.6

मध्यप्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित योजना दूध, अण्डा एंव मांस उत्पाद् के वर्षवार अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता (ग्राम में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक अंडा उपलब्धता (संख्या में)	प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस उपलब्धता (ग्राम में)
2009-10	278	10	495
2010-11	287	11	508
2011-12	308	11	537
2012-13	325	12	571
2013-14	345	13	623
2014-15	383	15	765

1.11 विभाग द्वारा प्रसारित अधिनियम व नियम/ नीति :-

1.11.1 मध्यप्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1950

1.11.2 मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम,1959 (यथा संशोधित 2006)

1.11.3 मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, 1976

1.11.4 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास अधिनियम,1982 (यथा संशोधित 1984)

1.11.5 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित 2010) नियम 2012

1.11.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 संशोधन अर्धिनियम 2012

1.11.7 मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993

1.11.8 मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड नियमावली 2006

1.11.9 मध्यप्रदेश पशुधन विकास नीति 2011

1.12 भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियम व अधिनियम प्रदेश में लागू

1.12.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

1.12.2 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

1.12.3 पशुओं के संक्रामक एंव संसर्गजन्य रोगों के रोकथाम अधिनियम 2009

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन एवं बजट प्रावधान व व्यय (योजनावार)

2.1 आयोजनेत्तर बजट एवं व्यय

(राशि ` लाख में)

वर्ष	स्वीकृत प्रावधान		व्यय	
	मांगसंख्या–14	मांगसंख्या–74	मांगसंख्या–14	मांग संख्या–74
2013–14	47,312.04	341.25	39,545.26	306.61
2014–15	52,433.53	341.25	52,385.64	303.03
2015–16	51,561.76	356.35	35,026.66 (माह दिसम्बर तक)	71.48 (माह दिसम्बर तक)

2.2 आयोजना बजट एवं व्यय

(राशि ` लाख में)

वर्ष	सामान्य योजना 14+74		आदिवासी उपयोजना 41+52		विशेष घटक 64	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2013–14	19,841.41	15,729.13	5,759.85	3,074.30	4,268.27	3,089.47
2014–15	21,591.23	15,676.75	7,412.68	5,864.91	5,793.68	4,975.45
2015–16	25,157.47	12,445.06 (दिस0तक)	6,628.58	2,798.81 (दिस0तक)	7,344.65	2,724.76 (दिस0तक)

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं

बारहवी पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाएं निम्नानुसार हैं :

3.1.1 बड़े पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.1.1 नन्दीशाला योजना

योजना फरवरी 2006 से संचालित है। योजना का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय अवर्णित/ श्रेणीकृत गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडों का प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं हेतु पशुपालकों को अनुदान आधार पर प्रदाय करना है। योजना प्रदेश के सामान्य, आदिवासी, विशेष घटक के लिए है। योजना ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान के आधार पर वर्णित नस्ल गौ–सांड जैसे–साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गिर, गौलव, मालवी, निमाड़ी, केनकाठा आदि नस्ल के गौ–सांड प्रदाय किए जाते हैं। योजना की इकाई लागत सांड का मूल्य, परिवहन सहित प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार कुल ` 17,500 है जिसमें प्रति इकाई अनुदान राशि ` 14,000 (80प्रतिशत्) तथा हितग्राही अंशदान राशि ` 3,500 (20प्रतिशत्) निर्धारित है।

3.1.1.2 समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना)

योजना का उद्देश्य नस्ल सुधार करना है ऐसे क्षेत्र जहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मुर्रा पाड़े प्रदाय कर भैसों में प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना अन्तर्गत प्रगतिशील पशुपालकों प्रशिक्षित गौसेवक एवं सभी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। इस योजना की इकाई लागत ` 22,000 है जिसमें सभी वर्गो को 80 प्रतिशत अनुदान एवं 20 प्रतिशत हितग्राही अंशदान का प्रावधान है।

3.1.1.3 बैंक ऋण एवं अनुदान पर दुधारु पशु इकाई

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2008–09 से संचालित है। वर्ष 2010–11 से योजना कलस्टर (समूह में) लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है और साथ ही ऐसे हितग्राही जिन्हें पशुपालन का अनुभव हो साथ ही मिल्क रुट के कियान्वयन को प्राथमिकता दिया जाना है। योजना की इकाई तीन देशी गाय लागत राशि ` 54,000, तीन संकर गाय लागत राशि ` 96,000, तीन ग्रेडेड मुर्रा भैंस लागत राशि ` 1,05,000 है। योजना अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनुदान 33 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग हेतु अनुदान 25 प्रतिशत् एवं हितग्राही अंशदान 10 प्रतिशत व शेष बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.2 छोटे पशुओं का उत्प्रेरण

3.1.2.1 बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई

वर्ष 2008-09 से प्रदेश के सभी जिलों में बैक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई 10+1 की लागत ` 33,212 तथा इकाई 20+2 की लागत ` 50,410 है। योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत अंशदान व शेष बैंक ऋण का प्रावधान है।

3.1.2.2 अनुदान पर नर बकरा प्रदाय

अनुदान पर बकरा प्रदाय योजना का उददे्श्य देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, मांस तथा दुग्ध उत्पाद में वृद्धि करना है। यह संशोधित योजना वर्ष 2008-09 से संचालित है योजना सभी वर्ग के बकरी पालको के लिए है। योजना की इकाई लागत ` 5,000 है जिसमें बकरे का मूल्य के साथ बीमा, टीकाकरण, मिनरल मिक्चर एवं कृषि कृमिनाशक सम्मिलित है उन्नत नस्ल का नर बकरा सभी वर्ग के बकरी पालकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.1.2.3 अनुदान पर नर सूकर

वर्ष 2008-09 से नर सूकर योजना अनुदान पर संचालित है। योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरों की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, तथा मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना की इकाई लागत ` 3,000 है जिसमें केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.2.4 अनुदान पर सूकर त्रयी

वर्ष 2008-09 से सूकर त्रयी संशोधित योजना अनुदान पर संचालित है। इस योजना का उद्देश्य देशी/ स्थानीय सूकरेां की नस्ल में सुधार लाकर हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की इकाई लागत ` 8,000 है जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक नर सूकर एवं दो मादा सूकर 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है।

3.1.2.5 अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई

वर्ष 2012-13 से क्रियान्वित संशोधित योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में पोषण स्तर में सुधार लाने तथा अतिरिक्त आय के स्त्रोत उपलब्ध कराना मुख्य उददेश्य है। योजना में बिना लिंग भेद वाले 28 दिवसीय 40 लो इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजे, औषधि व परिवहन व्यय सम्मिलित है। इस योजना की

इकाई लागत ` 1,500 है। जिसमें अनुदान 80 प्रतिशत राशि ` 1,200 तथा हितग्राही अंशदान 20 प्रतिशत् राशि ` 300 है।

3.1.2.6 अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

वर्ष 2012-13 से संशोधित योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों कों कुक्कुट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कड़कनाथ नस्ल के संरक्षण के साथ-साथ उनका पोषण स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से हितग्राहियों को बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कड़कनाथ चूजे, खाद्यान्न व औषधि, परिवहन व्यय सहित प्रदाय किए जाते है। योजना की इकाई लागत राशि ` 2,100 है जिसमें 80 प्रतिशत् अनुदान राशि ` 1,680 तथा हितग्राही अंशदान 20 प्रतिशत् राशि ` 420 है। यह योजना प्रदेश के 15 आदिवासी बाहुल्य जिलों में क्रमशः बड़वानी, धार, झाबुआ, सींधी, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, बैतूल, खरगौन, खण्डवा, छिंदवाड़ा, रायसेन, सिवनी, रतलाम, व अनुपपुर, में संचालित की जा रही है

3.1.3 वत्सपालन प्रोत्साहन योजना

यह योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च अनुवांशिक गुणों वाले वत्सों का सरंक्षण एवं संर्वधन करना है। ऐसे पशु पालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के पशु (गाय) है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवाशिंक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के साण्ड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि ` 5,000 एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि ` 500 प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0-4 माह की उम्र से दो वर्षो तक अनुदान के रूप में प्रदाय की जाती है। इस योजना में नर एवं मादा दोनों प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे।

3.1.4 गौसेवक प्रशिक्षण योजना

योजना 2 अक्टूबर 1997 से संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10वीं उत्तीर्ण एक स्थानीय बेरोजगार युवक को छः माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित गौसेवक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं को प्राथमिक उपचार प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करते हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु ` 1,000 प्रति माह के मान से छः माह हेतु ` 6,000 स्टायपेन्ड एवं `1,200 की किट, इस प्रकार कुल `7,200 प्रति गौसेवक का प्रावधान है। वर्ष 2015 दिसम्बर तक 21,360 गौसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

3.1.5 देशी नस्ल की सबसे अधिक दुधारु गायों हेतु गोपाल पुरस्कार योजना

भारतीय देशी नस्ल के गौवंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में गोपाल पुरस्कार योजना संचालित की गई है। योजनान्तर्गत अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भारतीय नस्ल की गाय के पशुपालकों को प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया जाता है जिससे पशुपालकों को अतिरिक्त आय का साधन मिलने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही भारतीय उन्नत नस्ल के गौवंशीय उत्पादक पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है।

प्रतियोगिता वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है इस प्रतियोगिता में सभी वर्ग के पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी नस्ल की गाय उपलब्ध हो एवं कम से कम 4 लीटर दूध प्रतिदिन देती हो, भाग ले सकते हैं। योजना से पशुपालकों को देशी नस्ल के दुधारु पशुओं के पालन को प्रोत्साहन एवं अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होता है।

योजना अन्तर्गत पुरस्कार :–

विकासखण्ड स्तरीय पुरस्कार :–	प्रथम पुरस्कार	` 10,000
	द्वितीय पुरस्कार	` 7,500
	तृतीय पुरस्कार	` 5,000
जिला स्तरीय स्तरीय पुरस्कार :–	प्रथम पुरस्कार	` 50,000
	द्वितीय पुरस्कार	` 25,000
	तृतीय पुरस्कार	` 15,000
सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार) `5000प्रति		`3 5,000
राज्य स्तरीय पुरस्कार :–	प्रथम पुरस्कार	` 2,00,000
	द्वितीय पुरस्कार	` 1,00,000
	तृतीय पुरस्कार	` 50,000
सांत्वना पुरस्कार (7पुरस्कार)`10000प्रति		` 70,000

तालिका 3.1
हितग्राहीमूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि `. लाख में)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2013–14		2014–15		2015–16 (माह दिस0तक)	
		प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	317.6	317.6	352.00	352.00	487.91	479.56
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	307.64	307.64	386.54	386.54	401.61	383.40
3	नन्दीशालाा योजना	247.94	247.94	243.57	242.70	246.26	246.26
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	251.48	251.48	299.80	299.80	318.00	318.00
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	104.87	104.87	142.00	140.00	214.10	211.50
6	बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई	369.36	369.36	571.66	559.26	852.64	851.59
7	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	34.17	34.17	29.85	28.86	31.40	31.40
8	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	97.86	97.86	97.05	91.45	124.77	101.65
9	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	15.03	15.03	32.34	32.34	32.59	24.62

तालिका 3.2
हितग्राहीमूलक कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की भौतिक उपलब्धि

क्रं0	योजना का नाम	वर्ष					
		2013–2014		2014–2015		2015–2016 (माह दिस0 तक)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	1868	1868	2070	2070	2871	2820
2	अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय	1748	1748	2195	2195	2378	2292
3	नन्दीशालाा योजना	1771	1771	1733	1733	1759	1759
4	अनुदान पर नर बकरा प्रदाय	6287	6287	7996	7496	9096	9096
5	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय	837	837	1081	1069	1548	1406
6	बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई प्रदाय	1264	1264	1971	1926	2661	2652
7	अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय	1306	1306	898	854	837	837
8	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	8155	8155	8084	6730	10398	7092
9	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	890	890	1923	920	1940	1105

3.2 अन्य योजनाएं

3.2.1 पशु औषधालय का पशु चिकित्सालय में उन्नयन

योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाता है योजना की इकाई लागत `.15.50 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि `.8.60लाख, फर्नीचर हेतु `0.25 लाख, उपकरण हेतु `.0.50लाख, औषधि प्रदाय हेतु `.0.25 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु `. 5.90लाख प्रावधानित है।

3.2.2 नवीन पशु औषधालय की स्थापना

योजनान्तर्गत पशुपालकों को कम दूरी पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु नवीन पशु औषधालय की स्थापना की जाती है। योजना की इकाई लागत ` 9.12 लाख जिसमें अधोसरंचना विकास हेतु राशि ` 6.60 लाख, फर्नीचर हेतु ` 0.20लाख, उपकरण हेतु ` 0.25 लाख, औषधि प्रदाय हेतु ` 0.15 लाख एवं वेतन–भत्ते हेतु ` 1.92 लाख प्रावधानित है।

3.2.3 पशु चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

योजना का मुख्य उद्देश्य संचालित संस्थाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं नवीन उपकरण उपलब्ध कराना है जिससे पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित संस्था को अधोसरंचना विकास हेतु ` 5 लाख, प्रावधानित है।

3.2.4 चल विरुजालय/ चल पशु चिकित्सा इकाई हेतु वाहन प्रदाय

योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित चल पशु चिकित्सा इकाइयों एवं चल विरुजालयों को क्रियाशील करने हेतु वाहन प्रदाय किया जाता है जिससे पशु पालकों को त्वरित पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके।योजना की लागत इकाई `. 6 लाख प्रावधानित है।

3.2.5 अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन

यह योजना प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों में पशुपालकों को घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11से क्रियान्वित की गई है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 89 आदिवासी विकासखण्ड हैं। पूर्व में प्रदेश के 40 आदिवासी विकासखण्डों में अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जा रहा था। वर्ष 2012–13 से 22 नवीन एवं 40 निरन्तर कुल 62 विकासखण्डों में संचालित थी। वर्ष 2013–14 में प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकासखण्डों में योजना का विस्तार किया गया है।

3.2.6 भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012–13 में आयोजना मद से 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए बुल मदर फार्म भदभदा,भोपाल की भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कुल राशि ` 10.00 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। उक्त प्रयोगशाला के संचालन हेतु वर्ष 2015–16 में राशि ` 235 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकि प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य उच्च अनुवांशकीय गुणवत्ता वाली गाय से उसके सम्पूर्ण प्रजनन काल में अधिक से अधिक संतति प्राप्त करना, अधिक उत्पादन वाले पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, गायों की नस्ल सुधार के लिए हिमीकृत वीर्य उत्पादन हेतु उच्च अनुवांशिक क्षमता के साड़ों का उत्पादन, गाय की देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन, प्रजनन की चयन पद्धति से भारवाहक नस्ल मालवी एवं निमाड़ी का संरक्षण व संवर्धन तथा दुधारु गायों की नस्ल साहीवाल एवं गिर में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली डोनर गायों को चयनित कर हारमोन्स की मदद से सुपर ओवूलेट किया जाता है तत्पश्चात उच्च अनुवांशिक क्षमता वाले सांड़ के हिमीकृत वीर्य द्वारा उसका गर्भाधान कराया जाता है। गर्भाधान के सातवें दिन गर्भाशय से भ्रूण निकाले जाकर रेशीपियंट गायों में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं अथवा हिमीकृत कर सुरक्षित कर दिए जाते हैं।

3.2.7 तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 3 संयंत्र क्रमशः केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भदभदा भोपाल,ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखंड विशेष पैकेज द्वितीय चरण के तहद् रतौना प्रक्षेत्र, सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.80 लाख से 2.00 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होगा। भोपाल के केन्द्रीय वीर्य संस्थान में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना कर माह अप्रेल 2014 में उत्पादन एवं वितरण प्रारम्भ हो चुका है। ग्वालियर संयंत्र में मई 2015 से उत्पादन एवं वितरण प्रारम्भ हो चुका है। सागर एवं जबलपुर में फरवरी 2016 से उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् एक संयंत्र की स्थापना केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय परिसर इन्दौर में वर्ष 2015–16 में की जाना है।

3.2.8 पशु आश्रय स्थल आसरा

निराश्रित पशुओं को उपचार व आश्रय उपलब्ध कराने के उददेश्य से पशु आश्रय स्थल आसरा भोपाल में ''आसरा'' के नाम से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

आसरा के उददेश्य

1. घायल बीमार निराश्रित पशु पक्षियों को प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज धूप, गर्म हवा, बरसात से बचा कर सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं उनके खान–पान तथा उचित उपचार की व्यवस्था जब तक वे पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए।
2. घायल पशु–पक्षियों को जंगली एवं हिसंक जानवरों से सुरक्षा कर आश्रय देना।
3. उपयोगी बेसहारा पशु पक्षियों को पूर्णतः स्वस्थ होने के उपरान्त स्वयं सेवी संस्थाओं, इच्छुक पशु पालकों को उनकी स्वेच्छा से रखने की स्थिति में उन तक पहुॅचना जिससे उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके।
4. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुपालन में सहयोग करना।
5. एंटीरेबीज टीकाकरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा सहयोग।
6. जागरूकता शिविरों का आयोजन ।
7. बड़े पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
8. पशु–पक्षियों के कल्याण हेतु अन्य ऐसे सभी कार्यो को जो उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति कर सके।
9. पशु आश्रय स्थल की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करना।
10. छोटे पशु (श्वानों) के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रम प्रोत्साहित करना साथ ही नगर निगम के सहयोग से श्वानों की नसबंदी एवं एंटीरैबीज का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि क्षेत्र को रैबीज रोग से मुक्त रखा जा सके।

3.2.9 पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 3नवम्बर 2009 को जबलपुर में की गई थी।इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू एवं रीवा आते हैं। कुक्कुट प्रक्षेत्र जबलपुर एवं वृषभ पालन केन्द्र आमानाला जबलपुर जो कि पहले पशुपालन विभाग के अन्तर्गत आते थे उन्हे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किया गया है। विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीनों महाविद्यालयों में बी.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातक डिग्री प्रदाय की जाती है तथा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर एवं महू में एम.व्ही.एस.सी एण्ड ए.एच की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदाय की जाती है। वर्ष 2011–12 से विश्वविद्यालय द्वारा जबलपुर महू, रीवा, भोपाल में तथा मुरैना में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

3.2.10 ई–वेट परियोजना

पशुपालकों को सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए कम लागत में घर पहुँच पशु उपचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ई–वेट परियोजना प्रारम्भ की गई है। उक्त परियोजना के तहत् पैरावेट्स पशुपालक से सूचना प्राप्त होने पर रोगी पशु का परीक्षण करने के उपरान्त सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए पशु चिकित्सक को रोगी पशु के लक्षण आदि से अवगत कराएंगे। पशु चिकित्सक उपरोक्त जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होने पर पशु उपचार पर्ची इलेक्ट्रानिकली ऑन लाइन जारी करेंगे जिसके आधार पर पैरावेट रोगी पशु का उपचार करेगा। इस तकनीक के माध्यम से पशुपालकों को गुणवत्ता पूर्ण एवं पशु चिकित्सक के ऑन–लाईन पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में पशु उपचार प्राप्त होगा।

तालिका 3.3

राज्य योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि ` लाख में)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष					
		2013–14		2014–15		2015–16 (माह दिस0तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2252.58	1392.58	3015.13	2021.36	2497.75	1760.74
2	अधोसंरचना विकास	400.00	0.00	250.00	142.00	510.00	510.00
7	गौ सेवक प्रशिक्षण	30.00	29.95	33.00	31.87	36.28	18.90

तालिका 3.4
राज्य योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि

वर्ष							
क्रं0	योजना का नाम	2013–2014		2014–2015		2015–2016 (माह दिस0तक)	
		लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम (नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन)	218	218	111	111	76	74
2	अधोसंरचना विकास	24	24	12	12	34	34

3.3 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

3.3.1 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7 केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं 7 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित कर आवश्यक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) तैयार किया गया है। भारत शासन द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2–47/2009–/FF, दिनांक 06.06.2014 के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आवश्यक समिति गठन ,गतिविधि क्रियान्वयन एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

1. कुक्कुट को सम्मिलित करते हुए पशुधन क्षेत्र का समग्र एवं स्थाई विकास।
2. भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार खाद्य,चारा बीज की मांग एवं पूर्ति के अन्तर में कमी करना, चारा उत्पादन का रकबा बढाना, विस्तार कार्य एवं कटाई के बाद का प्रबन्धन
   करना तथा चारे की विविध जलवायु क्षेत्रों के अनुरुप प्रोसेसिंग करना।
3. कृषकों की सक्रिय भागीदारी (कृषक सहकारिता, बीज निगम, एवं निजी क्षेत्र के उद्यमी को सम्मिलित करते हुए) प्रभावी चारा उत्पादन श्रृंखला के द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं चारा बीज उत्पादन बढ़ाना।
4. स्थाई एवं समग्र पशुधन विकास के लिए चल रही योजनाओं एवं उसके विभिन्न साझेदारों के बीच समन्वय एवं सहयोगिता बढाना।

5. पशु पोषण एवं पशु उत्पादन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
6. पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए शासकीय कर्मचारियों एवं कृषकों को प्रशिक्षित करना।
7. पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने एवं उत्पादन लागत कम करने के लिए कौशल संवर्धन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकि का कृषकों तक विस्तार करना।
8. कृषक तथा कृषक समूह सहकारिता द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं जेनेटिक उन्नयन के पहल को बढ़ावा देना। (बोवाइन को छोड़कर)
9. स्माल एवं मार्जिनल कृषकों एवं कृषकों व कृषक समूह तथा सहकारिता/ उत्पादन कम्पनियों के निर्माण को बढ़ावा देना।
10. पशुधन क्षेत्र से संबंधित मौलिक पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना एवं सफल पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार करना।
11. कृषक के उद्यम की मार्केटिग, प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि के लिए अधोसंरचना एवं रुप–रेखा तैयार करना।
12. जोखिम प्रबंधन के उपायों को बढावा देने के साथ कृषकों को पशुधन बीमा की सुविधा देना।
13. पशुओ में बीमारियों की रोकथाम को बढ़ाव देना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता के प्रयासों को बढ़ावा देना। पशु शव का समय पर उपयोग करते हुए उत्तम गुणवत्ता का चमड़ा उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देना।
14. पशुपालन गतिविधियों में सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, नस्ल संरक्षण में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना एवं राज्य के संसाधनों को बढ़ाने के लिए रूप–रेखा तैयार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन को चारा उप–मिशन की गतिविधियों के अनुसार संचालित किया जा रहा है–

1. उप–मिशन – पशुधन विकास
2. उप–मिशन – पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूकर विकास
3. उप–मिशन – पशु खाद्य एवं चारा विकास
4. उप–मिशन – दक्षता संवर्धन, तकनीकि हस्तानांतरण एवं विस्तार

प्रदेश में उपरोक्त उप–मिशन अन्तर्गत निम्न योजनाऐं संचालित की जा रही है–

3.3.1.1 रिस्क मैनेजमेंट एवं पशुधन बीमा

योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारू/गैर–दुधारू पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना पशुधन बीमा योजना के नाम से केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 50 प्रतिशत अनुदान केंद्रांश, 25 प्रतिशत राज्यांश, 25 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर प्रदेश के 20 जिलों में संचालित थी। योजना का कियान्वयन मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2009–10 में 21,390, वर्ष 2010–11 में 42,415, वर्ष 2011–12 में 21,119, वर्ष 2012–13 में 23,538, वर्ष 2013–14 में 33,111 पशुओ का बीमा किया गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से योजना को रिस्क मैनेजमेंट के रूप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livesstock Mission) में शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिले सम्मिलित हैं। योजनांतर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा दुधारू देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य पशु जैसे घोडा, गधा, ऊंट, नर गौवंश व भैंसवंश, बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि पशुओं का बीमा कर लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। अब यह योजना गरीबी रेखा से उपर वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केद्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11,168 एवं वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर तक 19,665 पशुओं का बीमा किया है।

3.3.1.2 चारा एवं आहार विकास

यह योजना भारत सरकार द्वारा पशुपालकों चारा एवं चारा बीज उत्पादन, चारे के संरक्षण तथा उसके उत्पादों के सही उपयोग उत्प्रेरण हेतु संचालित है। वर्ष 2012–13 में 10 हेक्टेयर के प्रति इकाई के मान से 3 प्रक्षेत्रों क्रमशः बुलमदर फार्म 1 इकाई, पशु प्रजजन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी जिला मंदसौर 1 इकाई एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा जिला टीकमगढ़ 3 इकाई, इस प्रकार कुल 5 इकाई में 50 हेक्टेयर में चारागाह विकास कार्यक्रम किया गया है। वर्ष 2015 में योजनांतर्गत गतिविधि अजोला उत्पादन एवं प्रदर्शन के अन्तर्गत जिला रायसेन एवं जिला रीवा के स्माल होल्डर पोल्ट्री स्कीम हेतु 400 हितग्राहियों को प्रदर्शन इकाई की स्थापना द्वारा लाभान्वित किया गया है।

चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिवपुरी जिले में खरीफ वर्ष 2014 में 250 क्विंटल मक्का चारा बीज उत्पादन किया गया जिसे खरीफ वर्ष 2015 में प्रदेश के 21 जिलों के पशुपालकों को चारा उत्पादन कार्यक्रम हेतु निःशुल्क बीज वितरण किया गया है। इसी प्रकार रबी वर्ष 2014 में 106 क्विंटल वर्सीम चारा बीज उत्पादन कर रबी वर्ष 2015 में प्रदेश के 13 जिलों के पशुपालकों निःशुल्क बीज वितरण किया गया है।

3.3.2 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

यह योजना केन्द्रांश व राज्यांश के 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजनान्तर्गत एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अण्डा, ऊन व मांस जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आंकलन किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुधन उत्पाद का आंकलन ऋतुवार तथा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

3.3.3 महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत् रोकथाम

केन्द्र व राज्य शासन के कमशः 75:25 के अनुपात में वित्तीय प्रबन्ध के आधार पर यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण पशुधन व कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान एवं पशु रोग अनुसंधान प्रयोग शालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशु चिकित्सकों व पैरावेट को सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान रहता है।

3.4 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

3.4.1 माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम

माता महामारी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु माता महामारी रोग की खोज (सर्वेलेन्स) का कार्य किया जा रहा है। यह रोग विभाजित खुरों वाले पशुओं का अत्याधिक संक्रामक वायरल रोग हैं जो गौ वंश के साथ–साथ छोटे जुगाली करने वाले पशुओं में अत्यधिक मृत्यु का कारण बनता है। सम्पूर्ण प्रदेश में माता महामारी रोग से अनन्तिम मुक्ति संबंधी प्रथम स्तर की प्राप्ति 1मार्च 1998 व माता महामारी रोग से मुक्ति संबंधी द्वितीय स्तर की प्राप्ति 22 मई 2004 में हो गई थी।

3.4.2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास योजना

भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान पर यह योजना वर्ष 2010–11 से मध्यप्रदेश में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2014 से यह योजना को संशोधित कर राष्ट्रीय प्शुधन मिशन में सम्मिलित किया गया है। अब यह योजना 75 प्रतिशत केन्द्रांश व 25 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। योजना की इकाई लागत राशि ` 3,300 है। योजनान्तर्गत प्रत्येक हितग्राही को बिना लिंग भेद के 4 सप्ताह के लो इनपुट टेक्नॉलोजी वाले 45 पक्षी तीन चरणों में क्रमशः 25 व 20 चूजे प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही पक्षियों के लिए दढ़बा बनाने हेतु ` 1,500 दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे हितग्राही के खाते में जमा किए जाते हैं। हितग्राहियों को चूजे मदर यूनिट के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं।

एक मदर यूनिट से 300 हितग्राहियों को चूजे प्रदाय किए जाते है मदर यूनिट के हितग्राही को ` 60,000 अनुदान दिए जाने का प्रावधान है जो सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है मदर यूनिट के हितग्राही को 4 सप्ताह के चूजों की राशि ` 40 प्रति चूजा का भुगतान उनके द्वारा चूजे बी. पी. एल. हितग्राहियों को प्रदाय उपरान्त किया जाता है।

3.4.3 संक्रामक बीमारियों की रिर्पोटिंग हेतु प्रणाली (NADRS)

भारत सरकार द्वारा संक्रामक बीमारियों की रिर्पोटिंग हेतु National Animal Disease Reporting System software तैयार किया गया है एवं इस कार्यक्रम के तहत विकासखण्ड स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए है तथा विकासखण्ड स्तर के अमले को इस सॉफ्टवेयर को चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । किसी भी क्षेत्र में संक्रामक बीमारी के उद्भेद की स्थिति में इसकी सूचना ऑनलाईन एन्ट्री के माध्यम से की जाएगी। जिसका सीधा प्रतिवेदन भारत शासन को उपलब्ध हो सकेगा एवं जिससे विभिन्न संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय समय से किए जा सकेंगे। इन साफ्टवेयर्स में आवश्यकतानुसार संशोधन कर समीक्षा एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाएगा।

3.4.4 पशु संगणना

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 19वीं पशु संगणना भारत सरकार के निर्देशन में संदर्भ तिथि 15 अक्टूबर 2012 की स्थिति में प्रदेश के सभी ग्रामों में पूर्ण कराया जाकर आंकड़े भारत सरकार द्वारा अंतिम रुप से अधिसूचित किए गए हैं।

साथ ही 19वीं पशु संगणना 2012, के क्रम में राज्य के 15% 8248 ग्रामों में पशु नस्ल सर्वेक्षण कार्य 31जुलाई 2013 संदर्भ तिथि को सम्पन्न किया जाकर आंकड़े भारत शासन अंतिम रुप से अधिसूचित कर दिए गए है।

तालिका 3.5
केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय उपलब्धि

(राशि `.**लाख में**)

केन्द्र प्रवर्तित योजना							
क्रं	योजना का नाम	2013–14		2014–15		2015–16 (माह दिस0तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	चारा एव आहार विकास योजना	28.75	28.75	40.00	40.00	0.00	0.00
2	महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम	1257.10	1257.10	1200.00	880.00	राशि अप्राप्त	–
3	माता महामारी उन्मूलन	20.00	20.00	20.00	19.00	15	10.18
4	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	134.13	134.13	141.66	82.40	59.26	66.17
5	ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	217.20	217.20	1013.20	239.62	773.58	556.15
6	पशु संगणना	410.61	320.43	90.18	4.61	0.00	0.00

3.4.5 सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (Intensive Dairy Development Projects)

इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पोषक आहार की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार निर्मित करना व ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। यह योजना पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत् अनुदान के आधार पर क्रियान्वित है।

वर्तमान में यह योजना झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, हरदा, बड़वानी, नीमच, श्योपुर, सिवनी, देवास,धार,खण्डवा तथा बैतूल जिलों में चलाई जा रही है।

3.4.5.1 भारत शासन द्वारा सघन डेयरी विकास कार्यक्रम अंतर्गत झाबुआ, छिंदवाडा तथा बालाघाट जिलों हेतु वर्ष 2005–06 से 2007–08 के लिए ` 649.47लाख की लागत के त्रिवर्षीय परियोजना स्वीकृत की थी। परियोजनान्तर्गत स्वीकृत राशि ` 554.21 लाख केन्द्र शासन से प्राप्त हुई ।

3.4.5.2 केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2006–07 से 2012–13 के लिए सघन डेयरी विकास कार्यक्रम अंतर्गत हरदा, बड़वानी, नीमच श्योपुर तथा सिवनी जिलों हेतु लागत ` 1,422.09 लाख की नवीन परियोजना स्वीकृत की गई थी। परियोजनान्तर्गत सम्पूर्ण राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हो चुकी है।

3.4.5.3 भारत शासन द्वारा सघन डेयरी विकास कार्यक्रम अंतर्गत देवास,धार,खण्डवा तथा बैतूल जिलों हेतु वर्ष 2011–12 से 2013–14 के लिए ` 765.72 लाख की लागत के त्रिवर्षीय परियोजना स्वीकृत की गईं। परियोजनान्तर्गत वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत राशि ` 693.82 लाख केन्द्र शासन से प्राप्त हुई ।

3.4.6 बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत 6 जिलों क्रमशः सागर, दमोह, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, दतिया सम्मिलित किए गए हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पशुपालको को लाभान्वित एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास कार्यक्रम एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम जैसे कार्यो को लिया गया है। विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रथम चरण में ए. सी.ए. (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) घटक में ` 80.70 करोड़ विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसका शत–प्रतिशत उपयोग किया गया है।

इसी प्रकार बारहवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण में विभाग द्वारा राशि ` 80 करोड़ की योजनाएं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता घटक अन्तर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की गई जिसमें से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में राशि ` 18.05 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई। दिसम्बर 2015 तक द्वितीय चरण में कुल राशि ` 19.26 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

तालिका 3.6

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रगति

प्रथम चरण

कं.	गतिविधि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति (माह दिसम्बर 2015 तक)	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी–			
	डेयरी सोसाइटी का गठन	500	561	
	बल्क मिल्क कूलर	9	14	100
	डेयरी प्लांट का सुदृढ़ीकरण	1	1	
	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	138	138	
	दुग्ध टेंकर	3	3	
	दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	25000	59600	
2	मुर्रा सांड प्रदाय	2403	2403	100
3	बकरी इकाई प्रदाय	5296	5296	100
4	फॉडर बैंक की स्थापना	3	3	100
5	मिनौरा जिला टीकमगढ में बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना	1	1	100
6	एन.जी.ओ के माध्यम से पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना	110	110	100
7	म.प्र.राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार संयंत्र की स्थापना तथा दुग्ध उत्पाद के विपणन कार्य का सुदृढ़ीकरण	1	संयत्र प्रारंभ	–
	रेफ्रीजरेटेड वैन	2	2	100
	इन्सूलेटेड वैन	2	2	
	मिल्क टैंकर	5	5	

द्वितीय चरण

क्रं.	गतिविधि	भौतिक प्रगति (माह दिसम्बर 2015 तक)	उपलब्धि प्रतिशत
1	म0प्र0राज्य सहकारी दुग्ध संघ द्वारा डेयरी डेवलपमेंट एक्टीविटी(प्रथम चरण में गठित समितियों का सुदृढ़ीकरण, अनुश्रवण, प्रशिक्षण) रिफ्रेशर ट्रेनिंग समिति सचिव प्रशिक्षण टैस्टर प्रशिक्षण पशु स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण 138कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में गर्भाधान औसत दुग्ध संकलन किग्रा/दिन	 463 185 124 76423 59600	21सितम्बर 2014 को अधिकतम 91332किग्रा0/दिन दुग्ध संकलित हुआ।
2	रतौना जिला सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना	निर्माण कार्य पूर्ण	तरल नत्रजन उत्पादन जनवरी 2016 के अंत तक प्रारम्भ होना प्रस्तावित
3.	रतौना जिला सागर में कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	निर्माणाधीन	–
4.	मुर्रा नर वत्स संगोपन इकाई की स्थापना(रतौना जिला सागर, जिला टीकमगढ़ एवं दतिया में)	898	898 संगोपित मुर्रा नर प्रदाय, रतौना एवं मिनौरा में निर्माण कार्य पूर्ण
5.	ट्रेविस एवं शेंड की स्थापना (150ग्राम पंचायतों में)	127 पूर्ण	शेष 23 पंचायतों में मार्च 2016 तक पूर्ण होना प्रस्तावित

3.4.7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

तालिका 3.7

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की विगत तीन वर्षो की वित्तीय स्थिति

(राशि `करोड़ में)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
एस.एल.एस.सी द्वारा स्वीकृत	148.06	95.59	65.78
पशुपालन विभाग को विमुक्त राशि	68.43	65.09	20.02
व्यय	68.43	65.09	17.12 (दिस0तक)
शेष राशि	0.00	0.00	2.9

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में लिए गए कार्यः

3.4.7.1 जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय से पॉली क्लीनिक में उन्नयन

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को पॉलीक्लीनिक स्वरूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2015–16 में शेष बचे हुए एक जिला (भिण्ड) में नवीन पॉलीक्लीनिक भवन निर्माण हेतु राशि ` 60लाख प्रस्तावित की गई थी एवं पूर्व के स्वीकृत 12 जिलों में प्रति संस्था राशि ` 30 लाख के मान से उपकरणों के क्रय हेतु एवं प्रति संस्था राशि ` 10 लाख के मान से पैथोलॉजी लैब की स्थापना हेतु राशि प्रस्तावित की गई थी। इस प्रकार कुल राशि ` 540 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित कराया जा चुका है। वर्तमान में केन्द्रांश के रूप में राशि ` 30 लाख विमुक्त किए जा चुके है एवं 50 प्रतिशत् राज्यांश सहित भिण्ड़ जिले में भवन निर्माण हेतु राशि ` 60 लाख निर्माण एजेंसी को उपलब्ध कराए गए है। कार्य प्रगति पर है।

3.4.7.2 पशु रोग बांझ निवारण शिविरों का आयोजन

योजना के तहत प्रदेश के 50 जिलों में प्रति विकासखण्ड 20 बॉझ निवारण शिविर एवं तत्पश्चात 21 दिवस बाद उसी ग्राम में 20 अनुगामी शिविरों का आयोजन किया जाकर पशुओं को बॉझता निवारण से संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है। प्रति शिविर राशि ` 10,000 आवश्यक औषधि क्रय हेतु तथा राशि ` 2,000 प्रचार–प्रसार हेतु निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश के समस्त 51 जिलों में 9390 बांझ निवारण शिविरों के आयोजन हेतु राशि ` 1,126.80 लाख का कार्यक्रम राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदन कराया जा चुका है। केन्द्रांश के रूप में राशि ` 200 लाख विमुक्त किए गए थे। राज्यांश सहित कुल ` 400 लाख

प्रदेश के समस्त जिलों में 3333 शिविरों के आयोजन हेतु जारी किए जा चुके है। कार्य प्रगति पर है।

3.4.7.3 ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु ट्रेविस एवं शेड की व्यवस्था

पशु उपचार स्थल ऐसी ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे है जहां पशु उपचार हेतु पशु चिकित्सा संस्थाएं नहीं है तथा पशु उपचार करने हेतु पशु को गिराना पड़ता है जिससे पशु को चोट भी लग जाती है एवं पशु को गिराने के लिए कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है इस कठिनाई को दूर करने के उददेश्य से पशुओं के टीकाकरण, उपचार, कृत्रिम गर्भाधान तथा औषधि देने हेतु पशु उपचार स्थल का निर्माण किया जा रहा है। उक्त स्थल पर ट्रेविस पशुपालन विभाग द्वारा प्रदाय किए जाएंगे एवं पशु उपचार स्थल का शेड निर्माण एवं नाम पट्टिका तथा निर्देश पट्टिका का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा अथवा संबंधित जिले की ही चयनित निर्माण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 में 4000 ग्राम पंचायतों में पशु उपचार स्थल की स्थापना हेतु प्रति उपचार स्थल राशि ` 30,000 शेड के निर्माण हेतु एवं राशि ` 10,000 ट्रेविस की स्थापना हेतु पूर्व से निर्धारित इकाई लागत अनुसार ही राशि ` 1,600 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदन कराया जा चुका है। वर्तमान में इस कार्य के लिए राशि ` 33.78 लाख केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किए गए हैं जिससे 50 प्रतिशत् राज्यांश सहित कुल 159 पंचायतों में पशु उपचार स्थल की स्थापना किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.4.7.4 पशु औषधालयों से पशु चिकित्सालयों में उन्नयित किए गए चिकित्सालयों का सुदृढीकरण

पशुपालन विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 112 पशु औषधालयों का उन्नयन पशु चिकित्सालयों में किया गया है। इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक 272 पशु औषधालयों का उन्नयन पशु चिकित्सालयों में किया जा चुका है। विभाग द्वारा विभागीय मद से इन सभी 384 नवीन उन्नयन किए गए पशु चिकित्सालयों में भवन निर्माण एवं आवश्यक तकनीकि अमले की स्थापना की जा चुकी है।

विभाग द्वारा समस्त 384 नवीन उन्नयन किए गए पशु चिकित्सालयों में भवन निर्माण, विस्तार हेतु प्रावधान विभागीय बजट से किया जाकर आवश्यक निर्माण कार्य किए गए है एवं 38 पशु चिकित्सालयों में भारत सरकार की योजना पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के तहत आवश्यक उपकरण एवं औजार आदि भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं शेष 346 पशु चिकित्सालयों का पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना में प्रावधान नहीं होने से इन पशु चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरण एवं औजार आदि की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से की जाने हेतु नवीन प्रस्ताव तैयार किया गया है।

वर्ष 2015–16 में राशि पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण राशि ` 692 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित कराया जा चुका है। वर्तमान में केन्दांश के रूप में राशि ` 200 लाख विमुक्त किए गए है। राज्यांश सहित कुल राशि ` 400 लाख के उपकरणों के क्रय आदेश जारी किए जा जाकर समस्त उन्नयन किए गए चिकित्सालयों में उपकरण, औजार आदि उपलब्ध कराए गए है।

3.4.7.5 इन्दौर जिले में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना

प्रदेश में पहला तरल नत्रजन संयंत्र भदभदा भोपाल में लगाया है जहां से वर्ष 2014–15 में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग को तरल नत्रजन का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर में तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2014–15 में लगभग 8 लाख लीटर तरल नत्रजन का प्रदाय किया गया है जबकि वर्ष 2016–17 तक 10 लाख लीटर तरल नत्रजन की आवश्यकता होगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुये इंदौर में तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इंदौर में तरल नत्रजन संयंत्र स्थापित हो जाने के पश्चात प्रदेश में लगभग 10 लाख तरल नत्रजन का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा जो कि प्रदेश की आवश्यकता हेतु पर्याप्त होगा। केन्द्रांश के रूप में राशि ` 144 लाख विमुक्त किए गए है। राज्यांश सहित कुल राशि ` 288 लाख उपलब्ध कराई गई है। तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर संयंत्र स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।

3.4.7.6 केन्द्रीय वीर्य संस्थान का सुदृढीकरण

इस परियोजना के अतंर्गत सिंगल पेन के दो बुल शेड का निर्माण किया जा रहा है साथ ही सांड क्रय करने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय वीर्य संस्थान से वर्ष 2016–17 तक 25 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन किया जाना लक्षित है। केन्द्रांश राशि ` 75.50 लाख विमुक्त किए गए हैं। राज्यांश सहित राशि ` 151लाख कराई गई है। अधिकांश उपकरण क्रय किए जा चुके है तथा शेष उपकरण क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेड निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा जुकी हैं।

3.4.7.7 भोपाल दुग्ध संयंत्र को पूर्णरूप से आटोमेशन करना

भोपाल दुग्ध संयंत्र की दुग्ध संसाधन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आटोमेट कर संचालित किया जा रहा है। परियोजना की लागत राशि ` 950 लाख है। वर्ष 2013–14 में प्रावधानित राशि ` 700 लाख के विरूद्ध राशि ` 300लाख प्राप्त हुई है। परियोजनान्तर्गत भोपाल दुग्ध संयंत्र की दुग्ध संसाधन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से आटोमेशन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मिल्क रिसेप्शन, चिलर, संयंत्र के समस्त उपकरण पाइप्स, वाल्व्स, पाश्चुराईजर, सीआईपी (Cleaning in process) सिस्टम तथा

मिल्क डिस्पेच सेक्शन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। संपूर्ण प्रणाली में पूरी पाइप लाईन की उच्च गुणवत्ता के स्वच्छता मानकों के परिपालन में पुनः संरचना एवं पुर्नस्थापना की गई है। पाश्चुराईजर तथा संपूर्ण संसाधन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार न्यूमेटिक वॉल तथा उपकरण स्थापित किए गए हैं । विभिन्न प्रकार के दूध का निर्माण तथा उनकी डिस्पेच प्रक्रिया केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संचालित की जाएगी। सम्पूर्ण संयंत्र संचालन गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रणाली के कियान्वयन से उत्पादन को न्यूनतम समय में पूर्णतया त्रुटिमुक्त करते हुए उत्पादन प्रक्रिया को योजनाबद्ध एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप पूर्ण किया जा सकेगा। इस प्रकार दूध का संसाधन पूर्णतया आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगा । दूध की हेण्डलिंग, पानी, बिजली, रेफ्रीजरेशन, भाप तथा धुलाई प्रक्रिया में होने वाली हानि को कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । इस प्रणाली से संसाधन प्रक्रिया के दौरान दूध की हानि को भी कम किया जा सकेगा । संपूर्ण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण होने से उपकरणों का समयबद्ध रख–रखाव हो सकेगा जिससे उपकरणों की टूट–फूट तथा संसाधन हानि में कमी लाई जा सकेगी। साथ ही त्रुटियों का तत्काल पता लगने से समय की बचत होगी। आधुनिकीकरण के जरिये न्यूनतम अमले की सेवाओं के माध्यम से बेहतर प्रबंधन संभव होगा तथा समस्त संचालन में अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित कर संयंत्र उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ संयंत्र क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा । सम्पूर्ण संचालन प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर संभावित त्रुटियों को दूर करने तथा दूध के प्रसंस्करण की हानि में कमी आ सकेगी। इस आधुनिकीकरण के माध्यम से संयंत्र पर लागू वैधानिक मानकों यथा स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली यथा– ISO तथा HACCP का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वर्ष 2015–16 में राशि ` 402.02 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित कराया जा चुका है। वर्तमान में केन्दांश के रूप में राशि ` 200.01 लाख विमुक्त किए गए है। राज्यांश सहित कुल राशि ` 400.02 लाख दुग्ध महासंघ मर्यादित भोपाल को उपलब्ध कराए जा चुके है। कार्यवाही प्रचलन में है।

3.4.7.8 पायलट आधार पर sorted sexed semen का उपयोग

हरियाणा तथा पंजाब राज्य के द्वारा विगत दो वर्षो से जर्सी तथा एच.एफ. नस्ल का Sorted Sexed Semen आयात किया जा रहा है जिसकी लागत लगभग 20 डॉलर प्रति स्ट्रा आती है। भारत सरकार, पशुपालन विभाग के द्वारा भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (वॉयफ) के माध्यम से Sorted Sexed Semen क्रय करने हेतु निर्देश दिये थे कि उक्त Sorted Sexed Semen राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या अन्य किसी योजना के तहत क्रय किया जाये। अतः उक्त Sorted Sexed Semen वॉयफ से राशि ` 1,000 प्रति स्ट्रा की दर से क्रय किया जाएगा। प्रथमतः 4,000 डोजेज Sexed Semen क्रय करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका उपयोग विभाग के पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक तथा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर के प्रगतिशील पशुपालकों के यहां किया जाएगा। आयातित Sorted Sexed Semen के

उपयोग तथा उनसे उत्पन्न वत्सों आदि का अभिलेख संधारित किया जाएगा। केन्द्रांश के रूप में राशि ` 20.50 लाख विमुक्त किए जा चुके है एवं राज्यांश सहित कुल राशि ` 41 लाख प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को उपलब्ध कराए जा चुके है। वॉयफ उरलीकंचन, पुणे से sorted sexed semen क्रय करने हेतु राशि केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भोपाल को स्वीकृत कर उपलब्ध कराई गई है तथा सी.एस.एस. के द्वारा सीमन क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3.4.7.9 नरसिहपुर जिले मे बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना

इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु कुल राशि ` 150 लाख स्वीकृत किए गए थे। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सिरोंही एवं बारबरी नस्ल की बकरियों के न्यूक्लियस हर्ड की स्थापना हेतु नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की जाना है। इस प्रक्षेत्र की स्थापना के फलस्वरूप क्षेत्र के बकरी पालकों को शुद्ध सिरोंही एवं बारबरी नस्ल के नर बकरे अनुदान पर उपलब्ध हो सकेगे। इसके फलस्वरूप क्षेत्र की बकरियों में नस्ल सुधार का कार्य भी हो सकेगा। योजना के अंतर्गत नवीन शेड एवं अधोसंरचना विकास हेतु वर्ष 2013-14 में राशि ` 100 लाख एवं 2014-15 में राशि ` 50 लाख विमुक्त किए गए थे। उक्त राशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन शेड एवं अधोसंरचना विकास का कार्य किया जा रहा है जो माह मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। द्वितीय किश्त के रूप में वर्ष 2015-16 में पेरेन्ट स्टॉक एवं प्रक्षेत्र में आवश्यक उपकरण हेतु राशि ` 110.50 लाख का प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से अनुमोदित कराया जा चुका है। वर्तमान में राशि विमुक्त नहीं हुई है।

3.4.7.10 धार जिले में स्थापित पोल्ट्री स्टेट का विस्तार

योजना अंतर्गत ग्राम जैतपुरा जिला धार में एक ही स्थान पर 100 कुक्कुट इकाईयों (ब्रायलर) की स्थापना की जाना थी। वर्ष 2010-11 में राशि ` 313 लाख की योजना स्वीकृत होकर प्रथम किश्त राशि ` 266 लाख प्राप्त हुए जिसे निर्माण एजेंसी लघु उद्योग निगम द्वारा 52 प्लेटफार्म, मुख्य एवं आंतरिक सडके, स्ट्रीट लाईट, पानी की टंकी, समवेल, बोरवेल, ट्रान्सफार्मर इत्यादि कार्य सम्पन्न कराए गए। लधु उद्योग निगम द्वारा प्रेषित अपने प्राक्कलन में अधोसंरचना विकास कार्य ही लिया गया था परन्तु परियोजना की डीपीआर में प्लेटफार्म निर्माण भी किया जाना था जिसके फलस्वरूप 100 हितग्राहियों के लिए प्लेटफार्म की स्थापना की जगह 52 हितग्राहियों के लिए प्लेटफार्म की स्थापना ही की जा सकी। हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया प्रचलन में जिस हेतु 38 आवेदन प्राप्त हो चुके है। पोल्ट्री स्टेट के संचालन के लिए फेसीलीटेटर का चयन हो चुका है। तथा मॉनीटिरिंग हेतु प्रोजेक्ट मॉनीटिरिंग कमेटी (पीएमसी) का गठन करते हुए 3 बैठकें सम्पादित की गई है। हितग्राहियों को शेड का निर्माण करके दिए जाने की पीएमसी के निर्णय अनुसार शेड के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों (हितग्राहियों का प्रशिक्षण प्रचार-प्रसार आदि) के लिए राशि ` 292 लाख

के नवीन प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अनुमोदन कराया जा चुका है। वर्तमान में केन्दांश के रूप में राशि ` 96.40 लाख विमुक्त किए गए है। राज्यांश सहित राशि ` 192.80 लाख निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराए जा रहे है।

3.4.7.11 शिवपुरी जिले में सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना

प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में सुकर पालन रोजगार का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं प्रदेश में उन्नत नस्ल की सूकरों की मांग उनकी उपलब्धता से अत्यधिक है। प्रदेश में वर्तमान में केवल जबलपुर जिले के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत आमानाला में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है जिसके द्वारा प्रदेश की मांग से कम उन्नत नस्ल के सूकर उपलब्ध कराए जा रहे है। जिसके कारण प्रदेश को उन्नत नस्ल के सूकर दूसरे प्रदेशों से आयात करने पड़ते है। अतः उन्नत नस्ल के सूकरों की उपलब्धता हेतु नवीन सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की आवश्यकता है। योजना के फलस्वरूप प्रदेश में ही विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में सूकर त्रयी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, पडोरा जिला शिवपुरी में उन्नत नस्ल के सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु वांछित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शिवपुरी जिले में नवीन सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की कुल राशि ` 223 लाख है। प्रथम वर्ष में (2015-16) पशुओं के लिए शेड निर्माण, प्रशिक्षण हाल एवं फैंन्सिग कार्य प्रस्तावित किए गए है जो प्रथम वर्ष में पूर्ण किए जाएगे एवं इस वर्ष कुल राशि ` 90 लाख के लिए नवीन प्रस्ताव राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अनुमोदन कराया जा चुका है। वर्तमान में राशि विमुक्त नहीं हुई है।

3.5 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजना

3.5.1 मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट

मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट मूलरुप से जल संसाधन विभाग की परियोजना है जो विश्व बैंक ऋण सहायता से प्रदेश में क्रियान्वित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल का समुचित उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि करना है। पशुपालन सेक्टर को कृषि विभिन्नता की गतिविधियों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। पशुपालन सेक्टर का मुख्य उद्देश्य परियोजना के चयनित जलाशय क्षेत्रों कें आने वाले ग्रामों में स्वस्थ पशुधन एंव उत्पादकता में वृद्धि करना एवं स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना है।

तालिका 3.8
मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (एम.पी.डब्ल्यू.एस.आर.पी)
वर्ष 2015-2016 की वित्तीय एंव भौतिक उपलब्धि

क्रं0	गतिविधि	वार्षिक वित्तीय (राशि लाख `में)		भौतिक	
		प्राप्त	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि दिसंबर तक
1	शिवपुरी जिले में 100 में.टन क्षमता के पशु आहार संयंत्र की स्थापना	1000.00	1000.00	1जिला शिवपुरी	राशि दुग्ध महासंघ मर्यादित भोपाल को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई गई है। कार्यावाही प्रचलन में है।

3.6 पशुपालन विभाग अन्तर्गत जेण्डर मुद्दों से संबंधित जानकारी

विभाग अन्तर्गत जेण्डर मुद्दों से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है

3.6.1 विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न हितग्राहीमुलक योजनाओं में महिलाओं के लिए कुल बजट की 30 प्रतिशत राशि आरक्षित रहती है। विभाग अन्तर्गत विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की सूची जिसमें 30 प्रतिशत महिला हितग्राही का चयन आवश्यक है निम्नानुसार है–

1. वत्सपालन प्रोत्साहन योजना
2. अनुदान पर सांड (मुर्रा पाड़ा) प्रदाय
3. नन्दीशालाा योजना
4. अनुदान पर नर बकरा प्रदाय
5. बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय
6. बैंक ऋण एवं अनुदान पर डेयरी इकाई
7. अनुदान पर सूकर त्रयी/नर सूकर का प्रदाय
8. अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय
9. अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय

उपरोक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में राशि `2,831 लाख का प्रावधन महिलाओ के लिए रखा गया है।

3.6.2 विभाग अन्तर्गत केवल महिलाओं हेतु आचार्य विद्यासागर योजना संचालित की जा रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुसंशाओं के तहत् आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का क्रियान्वयन एमपी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन व इससे सम्बद्ध 5 क्षेत्रीय दुग्ध संघ द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब किसानों एवं निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सामान्य वर्ग की निर्धन महिलाओं को दो गाय/भैंस अनुदान एवं ऋण पर प्रदाय करने का प्रावधान है।

10 महिलाओं के समूह को इस योजना का लाभ दिया जाता है। समूह के प्रत्येक महिला के परिवार की समस्त स्त्रोतों को मिलाकर राशि ` 90,000 प्रति वर्ष से अधिक आय नहीं होनी चाहिए।

समूह के प्रत्येक महिला के परिवार के पास कम से कम एक एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ भूमि होना चाहिए। योजनान्तर्गत निर्धारित पशु लागत निम्नानुसार है:

देशी – अधिकतम राशि ` 36,750

संकर नस्ल – अधिकतम राशि ` 61,450

भैंस – अधिकतम राशि ` 70,150

योजनान्तर्गत सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हितग्राहियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति हितग्राही को 33.33प्रतिशत् अनुदान हितग्राही का न्यूनतम अंशदान राशि ` 5,000 शेष राष्ट्रीय महिला कोष /बैंक/दुग्ध संघ अथवा स्वयं के स्त्रोतों से योजना अन्तर्गत प्रारम्भ से 31 मार्च 2015 तक 10000 महिला हितग्राहियों को 18964 दुधारु पशु उपलब्ध कराए गए हैं।

3.6.3 मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा प्रथक से केवल महिला सदस्यों की डेयरी को–ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाता है। महिलाओ द्वारा संचालित इन डेयरी को–ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

महिला समितियों की जानकारी (वर्ष 2015–16)

विवरण	जिले					
	भोपाल	इंदौर	उज्जैन	ग्वालियर	जबलपुर	कुल योग
दुग्ध सहकारी समितियों का गठन (संख्या)	421	140	294	100	238	1,193
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियां (संख्या)	421	101	258	86	198	1,064
गठित दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	13,622	5,530	7,966	3,040	7,112	37,270
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता	13,622	3,871	6,759	3,040	5,906	33,198
दुग्ध संकलन (कि.गा./प्रतिदिन)	64,856	18,269	21,822	3,341	9,980	1,18,268
पशु उत्प्रेरण (संख्या)	3,595	840	5	990	76	5,506
कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (संख्या)	19	16	3	15	14	67

कृत्रिम गर्भाधान संपादन (संख्या)	10,035	5,824	978	3,276	5,016	25,129
पशु आहार विक्रय (मे. टन)	7,456	1,750	309	49	429	9,993

आगामी रणनीति

1. विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 30 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे, साथ ही महिलाओं की पृथक से प्रशिक्षण व्यवस्था भी की जाएगी।
2. अधिक से अधिक महिला दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के प्रयास किए जाएंगे।

भाग – चार

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र/भेड़ प्रक्षेत्र/बकरी प्रक्षेत्र एवं कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र

4.1 शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

पशुओं के नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के साण्ड/ पाड़े उपलब्ध करना।

तालिका 4.1

शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भदभदा (भोपाल)	वर्ष 1976-77	जर्सी, साहीवाल	330	280
2	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनोरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1972	हरियाणा	245	350
3	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र आगर (शाजापुर)	वर्ष 1942	मालवी	490	1150
4	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रोड़िया (खरगोन)	वर्ष 1979	निमाड़ी	193	103
5	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना (सागर)	वर्ष 1946-47	थारी एवं मुर्रा	454	696
6	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र इमलीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)	वर्ष 1954-55	साहीवाल	273	112
7	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र गढ़ी (बालाघाट)	वर्ष 1917	साहीवाल, संकर जर्सी	263	1080

8	शास. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र पवई (पन्ना)	वर्ष 2010	केनकाठा	155	994
9	शासकीय भैंस प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी	वर्ष 2008-09	भदावरी	–	शास0 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र शिवपुरी की भूमि पर स्थापित
10	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी जिला मंदसौर	वर्ष 2008-09	गिर गाय	–	शास0 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी मंदसौर की भूमि पर स्थापित

4.2 शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

उन्नत नस्ल मेढे तैयार कर भेड़ विस्तार केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को प्रदाय कर स्थानीय भेड़ की नस्ल में सुधार लाना।

तालिका 4.2

शासकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र बांसाखेड़ी (मंदसौर)	वर्ष 1954	मेरीनों कॉरीडेल संकर	29	141
2	शास. भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पड़ोरा (शिवपुरी)	वर्ष 1975	रेम्बूलेट	104	3500
3	शास. भेंड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 1958	रेम्बूलेट एवं कॉरीडेल	285	355

4.3 शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र का उददेश्य

जमनापारी नस्ल की बकरियों का संरक्षण एवं संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों/ पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

तालिका 4.3

शासकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल पशुधन	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)

1	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र आरोन (ग्वालियर)	वर्ष 1980	जमनापारी	437	312
2	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा (टीकमगढ़)	वर्ष 2013	जमनापारी	930	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा की भूमि पर स्थापित
3	शास. बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र ठीकरी (बड़वानी)	वर्ष 2008-09	जमनापारी	–	129

4.4 शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का उददेश्य

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर लो इनपुट टेक्नोलॉजी वाले पक्षियों का संवर्धन कर विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना उददेश्य है साथ ही कड़कनाथ कुक्कुट प्रक्षेत्र झाबुआ में मध्य प्रदेश का गौरव कहलाने वाले कड़कनाथ नस्ल के पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ-साथ विभागीय कड़कनाथ प्रदाय योजना अन्तर्गत चूजा प्रदाय करने हेतु एक दिवसीय चूजों का उत्पादन करना मुख्य उददेश्य है।

तालिका 4.4

शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र की जानकारी

क्र	शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी वर्ष 2015-16			
		स्थापना वर्ष	उपलब्ध नस्ल	कुल उपलब्ध मादा पेरेन्ट पक्षी (दिसम्बर तक)	कुल उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र भोपाल	वर्ष 1968-69	कलिंगा ब्राउन आस्ट्रालार्प कड़कनाथ रंगीन ब्रायलर गिरीराजा जापानी बटेर	615 353 1880 188 358 2548	11
2	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र इन्दौर	वर्ष 1963-64	आर0आई0आर	2377	13
3	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र ग्वालियर	वर्ष 1986-87	कलिंगा ब्राउन कड़कनाथ	2458 655	3
4	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र गुना	वर्ष 1988-89	चा ब्राउन	2000	7
5	शास. कुक्कुट पालन	वर्ष 1986-87	कलिंगा ब्राउन	1333	10

	प्रक्षेत्र सागर				
6	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र रीवा	वर्ष 1964–65	कलिंगा ब्राउन	1491	5
7	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र छिन्दवाड़ा	वर्ष 1965–66	कलिंगा ब्राउन कड़कनाथ	1839 595	12
8	शास. कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र शहडोल	वर्ष 1960–61	कलिंगा ब्राउन	2282	7
9	शास. कड़कनाथ कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र झाबुआ	वर्ष 1978–79	कड़कनाथ	2710	6

भाग–5
सामान्य प्रशासनिक जानकारी
तालिका 5.1
विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या
(माह दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	संचालक	1	1
2	अपर संचालक	2	–
3	संयुक्त संचालक	21	9
4	उप संचालक/सिविल सर्जन पशु चिकित्सा/पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी	203	134
5	उप संचाालक(रिसर्च)	1	–
6	सहायक संचालक /पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	1671	1154
7	सहायक संचालक सॉख्यिकीय/सांख्यिकीय अधिकारी	17	9
8	क्षेत्रीय अधिकारी (सॉख्यिकीय)	1	–
9	सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	4	1
10	प्रशासनिक अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	3	1
11	जन संचार दृश्य श्रव्य अधि0	1	–
12	खाघ विश्लेषक	1	–
13	उप यंत्री	3	3
14	मुख्य मानचित्रकार	1	1
15	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	48	38
16	विपणन निरीक्षक	5	1
17	सहा0पशु चिकि0 क्षेत्र अधि0	5795	3736
18	प्रगति सहायक/संगणक	110	78
19	प्रगणक	72	38
20	प्रयोगशाला सहायक/तकनीशियन	132	94
21	क्षेत्र सहायक	40	25
22	सीनियर प्लांट आपरेटर	3	0
23	प्लांट आपरेटर	11	8
24	दुग्ध अभिलेखक	17	11
25	प्रोजेक्ट आपरेटर	18	18
26	प्रोजेक्ट आपरेटर कनिष्ठ	5	5
27	विद्युतकार मैकेनिक	7	5
28	पट्टी बंधक वर्ग–1	15	10
29	लिपिक वर्गीय	849	640
30	वाहन चालक	167	109
31	चतुर्थ श्रेणी	2919	2739

तालिका 5.2

विभागीय नियुक्तियां एंव पदोन्नतियां (माह दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

क्रमांक	पद श्रेणी	नियुक्तियाँ	पदोन्नतियाँ
1	प्रथम श्रेणी	–	21
2	द्वितीय श्रेणी	–	–
3	तृतीय श्रेणी	–	–

तालिका 5.3

विभागीय जाँच सम्बन्धी जानकारी (माह दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

कं0	श्रेणी	जाँच प्रकरणों की संख्या	निराकृत जाँच प्रकरण	लंबित जाँच प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	9	–	9
2	द्वितीय श्रेणी	22	3	19
3	तृतीय श्रेणी	24	8	16
4	चतुर्थ श्रेणी	–	–	–

तालिका 5.4

विभाग के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति (माह दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

क्र0	पद श्रेणी	माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित/खारिज	निराकृत	पालन हेतु शेष	माननीय न्यायालय में कुल विचाराधीन प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	02	02	00	03
2	द्वितीयश्रेणी	07	21	00	11
3	तृतीय श्रेणी	03	17	02	14
4	चतुर्थ श्रेणी	00	03	29	17
	योग	**12**	**43**	**31**	**45**

तालिका 5.5

स्थानान्तरण
विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरणों की जानकारी
(माह दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

क्रमांक	श्रेणी/ पदनाम	स्थानांतरण की संख्या	संशोधन संख्या	निरस्त की संख्या
	(प्रथम श्रेणी)			
1	संयुक्त संचालक	3	–	–
2	उप संचालक	22	–	–
	(द्वितीय श्रेणी)			
1	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	164	22	5
2	सहायक संचालक सांख्यकीय	–	–	–
	(तृतीय श्रेणी)			
1	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	215	8	–
2	लिपिक वर्गीय	37	–	–

भाग–छः

विभागीय उपलब्धियां

6.1 विभागीय उपलब्धियाँ

6.1.1 दुग्ध उत्पादन में वृद्धिः

- वर्ष 2014–15 में प्रदेश की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 12.30 प्रतिशत् रही जबकि राष्ट्र की दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 6.27 थी।
- वर्ष 2012–13 में प्रदेश महाराष्ट्र से कुल दुग्ध उत्पादन में आगे निकल कर देश में सातवें से छठवें स्थान पर आ गया तथा वर्ष 2014–15 में आन्ध्र प्रदेश एवं पंजाब से आगे निकलकर राष्ट्र में चौथे स्थान पर आ गया है।
- वर्ष 2012–13 में प्रदेश के दुग्ध उत्पादन 8149 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 8838 हजार मेट्रिक टन हुआ था एवं वर्ष 2013–14 में दुग्ध उत्पादन 8838 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 9599 हजार मेट्रिक टन हुआ तथा वर्ष 2014–15 में दुग्ध उत्पादन 9599 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 10779 हजार मेट्रिक टन हुआ है। वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 345 ग्राम से बढ़कर 383 ग्राम हो गई है जो कि राष्ट्रीय औसत 300 ग्राम एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की अनुसंशा 280ग्राम से अधिक है।
- वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 के मध्य अवर्णित नस्ल की गायों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि जहॉ 20.47 प्रतिशत रही वहीं प्रदेश में वृद्धि 56.42 प्रतिशत रही, इसी प्रकार संकर नस्ल की गायों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि 9.86 प्रतिशत के विरूद्ध प्रदेश में वृद्धि 34.51 प्रतिशत रही, भैंसो की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि 16.78 प्रतिशत के विरूद्ध प्रदेश में वृद्धि 28.24 प्रतिशत रही एवं बकरियों की राष्ट्रीय स्तर की उत्पादकता में वृद्धि 17.94 प्रतिशत के विरूद्ध प्रदेश में वृद्धि 40 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2014–15 के दौरान औसत रूप से 11.02 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलित किया गया जो गत वर्ष की तुलना मे लगभग 34 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2014–15 के दौरान औसत रूप से 8.82 लाख लीटर प्रतिदिन कुल दुग्ध विक्रय किया गया जो गत वर्ष की तुलना मे लगभग 17 प्रतिशत अधिक है ।
- वर्ष 2014–15 के दौरान दुग्ध संघों का टर्न ओवर लगभग रू. 1606.84 करोड़ है जो गत वर्ष की तुलना मे लगभग 26 प्रतिशत अधिक है ।
- 15 जुलाई 2015 से प्रदेश के 85,933 प्राथमिक विद्यालयों के 45.85 लाख विद्यार्थी तथा 92,330 आंगनवाड़ियों के 27.88 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत सप्ताह में 3 दिन मीठा सुगंधित दूध दिए जाने की योजना प्रारंभ की गई है
- प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार हेतु गाय एवं भैंसो की 12 नस्लों के फ्रोजन सीमन स्ट्रा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय वीर्य संस्थान,

भदभदा भोपाल पर वर्ष 2014–15 में 19.09 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन किया गया है।

- प्रदेश की प्रजनन नीति के क्रियान्वयन तथा गाय एवं भैंस की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल पर वर्ष 2014–15 में राज्य स्तरीय पशु प्रजनन केन्द्र (State Level Animal Breeding Center) की स्थापना की गई है।
- भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से ''श्यामा'' प्रदेश की प्रथम सेरोगेटेड गाय बनी तथा इससे दिनांक 19 अप्रैल 2015 को प्रथम वत्स पैदा हुआ तथा इस तकनीक से अभी तक 07 वत्स पैदा हो चुके है।
- भोपाल जबलपुर,ग्वालियर एवं सागर में तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है एवं तरल नत्रजन का उत्पादन एवं वितरण प्रारम्भ किया गया है ।

भाग–सात

विभाग के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड एवं समितियाँ

7.1 म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम

म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना अधिनियम 37 (1982) के अन्तर्गत 19 नवम्बर 1982 को निगम के कामकाज, पशु उत्पादन(दूध तथा दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) तथा कुक्कुट उत्पादों के संग्रहण, पालन पोषण और विपणनकरने एवं पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करने के उद्देश्य से हुई जिससे कि राज्य के पशुधन का विकास हो सके और उसमें वृद्धि हो सके।

तालिका 7.1

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम द्वारा कियान्वित प्रमुख योजनाओं की उपलब्धि

क.	विवरण	भौतिक एंव वित्तीय उपलब्धि					
		2013–2014		2014–2015		2015–2016 (दिसतक)	
		भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)	भौतिक	वित्तीय (लाख ` में)
1.	उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय(बैल जोड़ी भी सम्मिलित)	9520	2008.36	5785	1743.32	1298	410.29
2.	नस्लसुधार (गौवंश/ भैंसवंश/ बकरा/सूकर)	9918	816.87	8050	716.01	10188	694.56
3.	पशु आहार का उत्पादन(में.टन में) (गौ–भैंसवंश/बकरा एवं पक्षी	784.5	174.76	613.30	143.60	233.43	50.57
4.	तरल नत्रजन का विक्रय(लाख लीटर में)	7.05	246.00	7.96	306.43	6.62	297.92
5.	फ्रोजन सीमन का उत्पादन (लाख स्ट्रा)	15.66	249.46	18.34	293.44	18.62	297.92
6.	राष्ट्रीय गौ भैंसवंशीय परियोजना, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना,मिनौरा, कीरतपुर, एंव बुलमदर फार्म भदभदा भोपाल		1728.00	मैत्री 500 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि मुर्रा सांड 250 कृग सांड 60 एवं फर्टिलिटी कैंप 100	2165.00	मैत्री 500 प्रशिक्षण एवं उपकरण, 1.5 ली. 400 नग, 3 ली. क्षमता के 700 नग 35 ली. क्षमता के 175 नग तरल नत्रजन पात्रों का प्रदाय	1049.00
7.	बुन्देलखण्ड पैकेज	मुर्रा 1388 बकरी इकाई 2445	972.00	मुर्रा 1400	560.00	–	–

8.	रिस्क मैनेजमेंट एन्ड इंश्योरेन्श (पशुधन बीमा योजना)	33111	342.79	11168	1124.36	19665	189.69
9.	कीरतपुर में मुर्रा प्रजनन केन्द्र की स्थापना	100 मुर्रा भैंस	778.00	–	–	–	–
10	मुर्रा नर संगोपन (रतौना, कीरतपुर, मिनौरा, बुल मदर फार्म भदभदा भोपाल)	–	330.00				
11	भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	प्र.शा. की स्थापना	470.00	146 भ्रूण संकलित एव 93 का प्रत्यारोपण	473	134 भ्रूण संकलित किए एवं 90 प्रत्यारोपड़, 54 हिमकृत किए 11 वत्सों का उत्पादन	235.00
12	राज्य पशु प्रजनन केंद्र	–	–	–	150.00	–	150.00
13	टर्न ओवर	–	8116.24	–	7615.16	–	3374.75

7.2. एम. पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड

मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र अन्तर्गत समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां सर्वप्रथम प्रदेश के पश्चिमी एंव मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी (IDA) से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारम्भ की गई तथा मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन किया गया।

वर्ष 1980-81 में प्रदेश में आपरेशन फ्लड-11 कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके तहत् चार दुग्ध संघों ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एंव सागर के दुग्धांचलों के अन्तर्गत 29 और जिलों में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारम्भ की गई।

वर्ष 1980 में ही आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई।

7.2.1 त्रिस्तरीय संरचना

- एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के 51 जिलों में किया जा रहा है ।

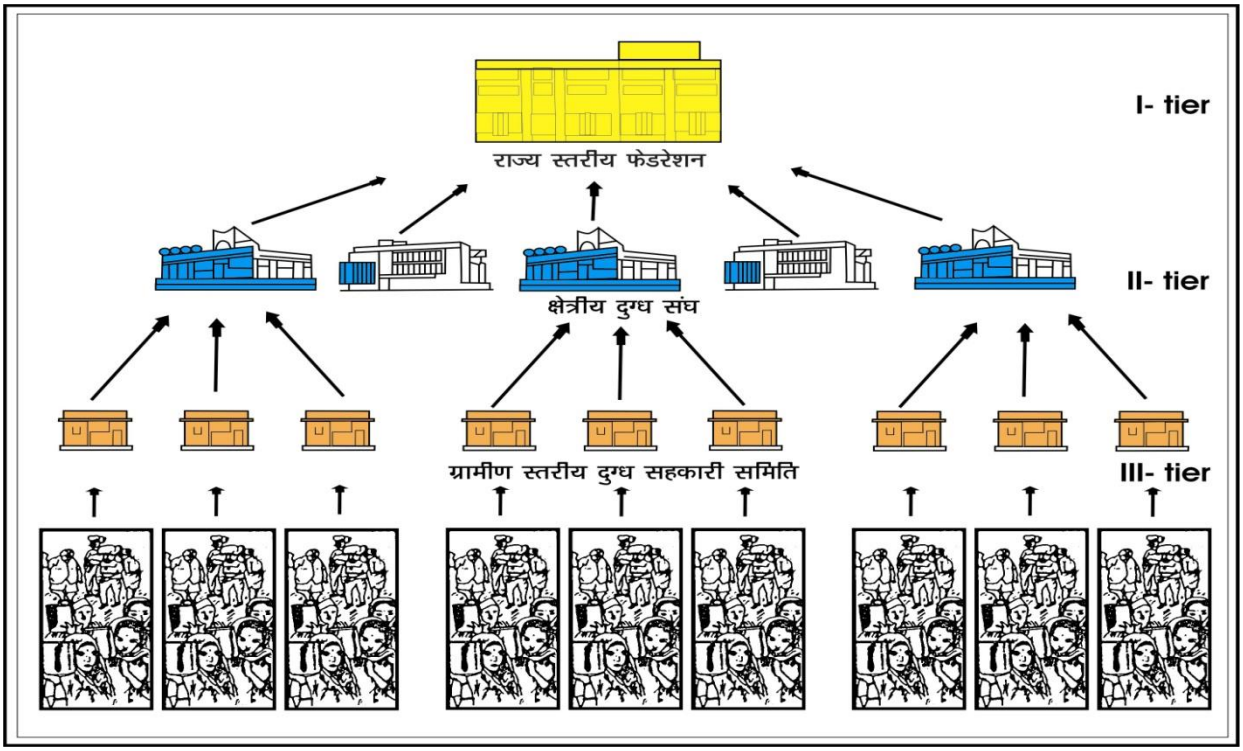

तालिका 7.2

सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम की भौतिक एंव वित्तीय उपलब्धि

क्र.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16 (दिस0तक)
1	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	5810	6300	6219
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	219059	237013	240517
3	दुग्ध संकलन किलोग्राम/प्रतिदिन	824955	1101610	931441
4	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	669691	712385	713043
5	पशु आहार विक्रय (मेट्रिक टन)	104835	115482	72381
6	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	288070	405698	316431
7	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (` करोड़ में)	898.25	1243.66	637.54
8	विक्रय प्राप्तियां (` करोड़ में)	1274.47	1606.84	1485.25
9	लाभ/हानि ऋण अदायगी के पूर्व (` लाख में)	2645.10	2882.38	5494.91
10	लाभ/हानि ऋण अदायगी के पश्चात (` लाख में)	2317.01	2266.77	5091.75

दुग्ध संघों का कार्यक्षेत्र

दुग्ध संघवार जिलों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :

क्र.	दुग्ध संघ का नाम	कुल जिले	सम्मिलित जिले का नाम
1	भोपाल	12	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ, रायसेन, गुना,होशंगाबाद, बैतूल,हरदा, अशोकनगर, सागर,छतरपुर, देवास, (कन्नौद, खातेगांव) एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल) का कुछ क्षेत्र
2	इन्दौर	09	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार, बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा एवं बुरहानपुर
3	उज्जैन	06	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर एवं जिला धार (बदनावर) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर	17	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सीधी, पन्ना, दमोह, सिंगरौली, बालाघाट
5	ग्वालियर	07	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया एवं टीकमगढ़
कुल जिले		**51**	

7.2.2 राष्ट्रीय डेयरी योजना

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2007–08 से वर्ष 2021–22 तक की अवधि हेतु राष्ट्रीय डेयरी योजना का सृजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :

- दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार,चारा एवं आहार का समुचित उपयोग कर 15 वर्षो में दुग्धोत्पादन को दोगुना करना।
- संगठित क्षेत्र में दूध के विक्रय योग्य अतिशेष दूध के अंश को 30 प्रतिशत् से बढ़ाकर 65प्रतिशत करना ताकि दूध उत्पादकों को बाजार उपलब्ध हो सके एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- वर्ष 2021–22 तक प्रदेश के संगठित क्षेत्र में औसतन 25लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन करने का लक्ष्य।
- मध्यप्रदेश देश का पांचवा राज्य जिसका स्टेट डेयरी प्लान तैयार किया गया है।
- योजना प्रमुख रुप से दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि तथा अधोसंरचना विकास पर केन्द्रित।

7.3 मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड

7.3.1 बोर्ड की संरचना

मध्यप्रदेश शासन पशुपालन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड को दिंनाक 08–10–2004 से राज्य में प्रभावशील घोषित किया गया है। बोर्ड के कृत्यो के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक कार्यपरिषद तथा जिला स्तर पर जिला गौपालन एंव पशुधन संवर्धन समितियों का गठन किया गया है। राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पशुपालन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव वन, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विकास, प्रमुख सचिव पशुपालन, संचालक पशुपालन, प्रबन्ध संचालक ऊर्जा विकास निगम, संचालक कृषि, प्रबन्ध संचालक मध्यप्रदेश गौपालन एंव पशुधन संवर्धन बोर्ड, प्रबन्ध संचालक राज्य कृषि कल्याण विपणन बोर्ड हैं।राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य निम्नानुसार होते हैं:

(अ) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक अशासकीय व्यक्ति जो बोर्ड का ''दूसरा'' उपाध्यक्ष होगा.

(ब) गौपालन एवं पशुधन संवर्धन में रूचि रखने वाले 7 अशासकीय सदस्य जिसमें कम से कम दो पंजीकृत गौशाला के संचालक होना अनिवार्य है।

7.3.2 जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति

जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्– कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पदेन सचिव, उप संचालक कृषि कल्याण सदस्य, प्रबंधक, मध्यप्रदेश

ऊर्जा विकास निगम सदस्य, आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य, जिला पंचायत के कृषि समिति का अध्यक्ष सदस्य, सचिव, कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय का) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य है। अशासकीय सदस्य निम्नानुसार होते हैंः

(अ) चार अशासकीय सदस्य, जिसमें से दो का नामांकन राज्य गौपालन एवम् पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा एवम् दो का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के विधायकों में से एक विधायक प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के विधायकों का कार्यकाल बारी–बारी से एक वर्ष का होगा।

(ब) अशासकीय सदस्यों में से एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

7.3.3 नवीन गौशालाओं का पंजीयन

गौशालाओं के नवीन पंजीयन हेतु आवेदन जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर बोर्ड के सदस्यों तथा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मापदंड अनुरुप पाए जाने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है।

7.3.4 कामधेनू गौ–अभ्यारण्य, सुसनेर

कामधेनू गौ–अभ्यारण्य,सुसनेर की स्थापना ग्राम सालरिया, तहसील सुसनेर जिला शाजापुर में किया गया था जो अब जिला आगर में है। इसकी कुल भूमि का रकबा 472.63 हैक्टेयर है। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रुप से निःशक्त, अशक्त भारतीय गौवंश के संरक्षण हेतु ''गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र'' के रुप में एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जिससे दूध न देने वाले गौवंश को भी जैविक खाद एवं गौमूत्र औषधियों के निर्माण के माध्यम से उपयोगी बनाया जा सके।अभ्यारण्य में गौवंश द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों, अपरंपरागत उर्जा श्रोतों, चारागाह विकास एवं ग्रामीण परिवहन का एक मॉडल तैयार किया जाएगा। इस गौ–अभ्यारण्य, अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र हेतु राशि `31.95 करोड़ की पंचवर्षीय परियोजना स्वीकृत की गई है।

योजना अनुसार प्रथम चरण में 1000गौवंश हेतु अधोसंरचना एवं व्यवस्था का लक्ष्य था जो पूर्ण कर लिया गया है जिसके अन्तर्गत 1000गौवंश के पालन हेतु के शेड का निर्माण, चारा गोदाम तथा गौवंश हेतु पानी, विद्युत व्यवस्था आदि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है द्वितीय चरण में 5यूनिट गाय शेड एवं उत्पादन केन्द्र, कृषक प्रशिक्षण भवन, गौ–अभ्यारण्य अनुसंधान केन्द्र के निर्माण हेतु दिनांक 11.02.2015 को प्रशासकीय स्वीकृति राशि ` 1584.54लाख जारी की जाकर चयनित एजेन्सी लोक निर्माण विभाग अनुसार निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथा 17 आवासीय भवनों हेतु राशि ` 133.76लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्य पूर्णता पर है।

7.3.5 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में संशोधन

- गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध
- गौवंश वध अथवा गौवंश अवैध परिवहन कि मामले में अपराध सिद्ध होने पर अधिकतम कारावास का सीमा बढ़ाकर 7वर्ष की गई है।
- अधिनियम के तहद् पकड़े जाने पर सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।
- गौवंश अवैध परिवहन के मामले में उपयोग किए गए वाहन को जप्त किया जा सकता है।

तालिका 7.3
प्रदेश स्तर पर गौशालाओं की स्थिति

क्रंमाक	विवरण	संख्या
1	कुल पंजीकृत गौशालाएं	1202
2	कुल क्रियाशील गौशाला	592
3	कुल अक्रियाशील गौशालाएं	610
4	गौशालाओं में स्थापित बायोगैस संयंत्र	76
5	गौशालाओ की संख्या जहां गोमूत्र से औषधियां तैयार की जा रही है	31
6	गौशालाओ की संख्या जहां गोबर खाद, जैविक खेती हेतु तैयार की जा रही है	283
7	गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश	131184

तालिका 7.4

गौशालाओं को वर्षवार दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

सं.क्रं.	वर्ष	प्राप्त वंटन (` करोड़ में)	प्रदाय राशि (` करोड़ में)
1.	2013–14	20.00	18.00
2.	2014–15	मंडी बोर्ड से राशि अप्राप्त	मंडी बोर्ड से राशि अप्राप्त
3.	2015–16	15.00	15.00

7.4 पशु रोगी कल्याण समिति

राज्य के सभी जिलों में पशु कल्याण समितियों का गठन निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया हैः–

7.4.1 क्षेत्र के पशुओं के उपचार की व्यवस्था करना।

7.4.2 पशुपालन की सुविधा उपलब्ध कराना।

7.4.3 अर्न्तवासी रोगी पशुपालकों को चिकित्सालय में ठहरने की व्यवस्था करना।

7.4.4 पशु चिकित्सा भवनों में सुधार करना।
7.4.5 राज्य गौ संवर्धन बोर्ड की अनुमति से अनुदान प्राप्त गौशालाओं की देखभाल/पर्यवेक्षण करना।
7.**4.6.** पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पालन करना।
7.4.7 पशु पक्षियों के कल्याण के कार्यक्रमों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
7.4.8 पालतू जानवरों का टीकाकरण तथा उपचार करना।
7.**4.9** रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार एंव सहयोग करना।
7.4.10 पशु चिकित्सा एंव उन्नत प्रजनन से संबंधित अन्य कार्य।

जिला पशु कल्याण समितियों में कलेक्टर कार्यकारी अध्यक्ष,उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें सदस्य व पदेन सचिव एंव जिला स्तर के पशु चिकित्सालय का प्रभारी पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ सदस्य उप सचिव सहित 11सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त समिति में जिले के निर्वाचित दो विधायक भी सदस्य होते हैं।

7.5 पशु क्रूरता निवारण समितिः–

प्रदेश के 50 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है। जिले में पशु क्रूरता निवारण से संबंधित कार्य समिति के द्वारा किया जाता है।

7.6 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं के नियमन हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहद् कार्यवाही किए जाने के लिए वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का गठन किया गया है।

7.6.1 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् में निम्नानुसार सदस्य होते हैं–

7.6.1.1 निर्वाचित सदस्य–4
7.6.1.2 राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य–3
7.6.1.3 पशु चिकित्सा संस्थाओं के मुखिया–पदेन सदस्य
7.6.1.4 संचालक पशुपालन–पदेन सदस्य
7.6.1.5 प्रदेश स्तर के पशु चिकित्सा संघ का प्रतिनिधि
7.6.1.6 रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्–पदेन सदस्य

7.6.2 मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् में वर्तमान में 3162 पशु चिकित्सक पंजीकृत हैं।

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश में 19वीं पंचवर्षीय पशु संगणना 2012 के जिलेवार पशुधन के आँकड़े :–

क्रं0	जिला	गौवंशीय पशु			भैंसवंशीय पशु	भेड़ा–भेंड़ी	बकरा–बकरी	सूकर	घोड़े–घोड़ी	खच्चर	गधे	ऊँट	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
		संकर नस्ल	देशी नस्ल	योग										
1	अलीराजपुर	431	440049	440480	57493	1940	310263	146	26	0	381	0	**810729**	**665104**
2	अनुपपुर	7572	339929	347501	62058	185	64172	3010	1098	0	35	12	**478071**	**98572**
3	अशोकनगर	11382	230187	241569	120889	2658	86420	965	114	0	63	0	**452678**	**22901**
4	बालाघाट	10871	565912	576783	141034	3	225972	5386	748	399	9	9	**950343**	**248804**
5	बड़वानी	599	399640	400239	110663	2661	306715	796	55	0	715	0	**821844**	**703619**
6	बैतूल	22908	503145	526053	120395	1703	145214	1052	405	182	229	1	**795234**	**183493**
7	भिण्ड	7530	102030	109560	219145	5808	95660	5146	264	49	332	5	**435969**	**9234**
8	भोपाल	20658	89434	110092	83655	65	39155	945	66	0	181	0	**234159**	**990653**
9	बुरहानपुर	2125	129372	131497	36211	49251	77342	531	1755	0	506	0	**297093**	**104865**
10	छतरपुर	3095	340818	343913	239206	4553	254774	6761	257	358	138	0	**849960**	**80794**
11	छिंदवाड़ा	23080	675987	699067	136696	56	273070	1799	1032	29	239	0	**1111988**	**361116**
12	दमोह	4868	553977	558845	106723	3627	121823	5418	246	0	50	0	**796732**	**45833**
13	दतिया	630	106555	107185	150324	3858	99841	2082	127	109	357	0	**363883**	**15046**
14	देवास	30259	314631	344890	236555	668	165742	740	84	25	177	1	**748882**	**147955**
15	धार	58107	565306	623413	200419	2165	435624	530	2040	2050	386	3	**1266630**	**643012**
16	डिंडोरी	506	375053	375559	43204	73	65329	5212	916	1	353	87	**490734**	**136170**
17	खण्डवा	1510	344854	346364	121184	169	130576	1137	672	837	83	0	**601022**	**76441**
18	गुना	14824	352976	367800	222426	706	129993	3415	94	18	615	52	**725119**	**46725**
19	ग्वालियर	5723	182221	187944	226089	15211	164062	2407	107	45	466	164	**596495**	**49930**
20	हरदा	2469	139240	141709	72850	1416	45989	208	45	2	8	0	**262227**	**27717**
21	होशंगाबाद	20369	319633	340002	112526	61	80059	2396	254	5	284	2	**535589**	**159154**
22	इन्दौर	81455	96129	177584	155290	629	96272	4	715	776	81	0	**431351**	**141223**
23	जबलपुर	27922	337423	365345	95324	1170	104280	4832	118	1	20	0	**571090**	**3401896**

24	झाबुआ	17409	391764	409173	102807	3024	266435	0	39	1	253	0	**781732**	**468308**
25	कटनी	3497	431864	435361	51866	1522	92760	3409	59	18	10	5	**585010**	**18252**
26	मंडला	7603	386045	393648	54641	132	77995	3842	274	447	39	0	**531018**	**122671**
27	मंदसौर	51231	245841	297072	224443	10181	182244	4267	927	13	584	1280	**721011**	**33308**
28	मुरैना	12715	129199	141914	623861	14758	164010	8618	461	232	2295	237	**956386**	**49539**
29	नरसिंहपुर	38080	283033	321113	127230	744	106612	2825	256	20	555	1	**559356**	**53835**
30	नीमच	21422	226366	247788	138044	8930	145131	1258	425	0	176	590	**542342**	**28843**
31	पन्ना	1408	413407	414815	141895	4011	125289	6477	353	236	327	0	**693403**	**53448**
32	रायसेन	12936	417270	430206	118116	850	90778	1010	277	4	322	1	**641564**	**101297**
33	राजगढ़	13223	478634	491857	510774	857	188593	2719	188	18	643	19	**1195668**	**53531**
34	रतलाम	30443	292175	322618	172635	3245	200927	1384	792	502	194	8	**702305**	**208028**
35	रीवा	41391	872814	914205	170806	24120	198629	15103	145	73	81	0	**1323162**	**65982**
36	सागर	8073	794747	802820	213711	1327	140628	5837	450	39	45	5	**1164862**	**102375**
37	सतना	23956	829593	853549	196178	15178	252606	9412	288	128	122	0	**1327461**	**60120**
38	सीहोर	51522	205100	256622	133069	175	67971	686	54	9	91	2	**458679**	**48077**
39	सिवनी	21376	491310	512686	124943	45	172503	3709	145	3	20	0	**814054**	**363750**
40	शहडोल	6131	500752	506883	86900	5842	104921	5062	249	33	23	0	**709913**	**158809**
41	शाजापुर	29690	306744	336434	292145	321	199970	3299	244	2	499	438	**833352**	**194857**
42	श्योपुर	560	244573	245133	144961	7261	123704	3314	55	1	640	132	**525201**	**29146**
43	शिवपुरी	16691	527805	544496	370247	47405	304748	9080	178	7	412	3	**1276576**	**136059**
44	सीधी	14314	433067	447381	94039	8803	190999	12776	35	42	23	0	**754098**	**280298**
45	सिंगरौली	2850	542021	544871	80167	7306	231458	3119	3	0	0	0	**866924**	**203665**
46	टीकमगढ़	6407	360563	366970	232231	38850	223571	5995	385	13	180	0	**868195**	**180077**
47	उज्जैन	33558	238866	272424	309821	724	205774	2248	614	49	761	356	**792771**	**143792**
48	उमरिया	974	337852	338826	46335	2877	68981	1000	26	0	10	0	**458055**	**63770**
49	विदिशा	13026	351331	364357	152480	511	80598	2411	353	213	518	0	**601441**	**28053**
50	खरगौन	1598	524152	525750	203285	1318	287754	1475	290	0	385	9	**1020266**	**294569**
योग		**840977**	**18761389**	**19602366**	**8187989**	**308953**	**8013936**	**175253**	**18803**	**6989**	**14916**	**3422**	**36332627**	**11904716**

परिशिष्ट–दो

19वीं पशुधन गणना 2012 के अनुसार पशुधन आँकड़ों में देश की तुलना में म0प्र0 की हिस्सेदारी

क्रं0	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	भारत की तुलना में म0प्र0 का प्रतिशत
1.	गौवंशीय			
(अ)	संकर नस्ल पशु	39731810	840977	2.11
(ब)	देशी नस्ल पशु	151172295	18761389	12.41
	कुल गौवंशीय पशु	**190904105**	**19602366**	10.27
2.	भैंस वंशीय पशु	108702122	8187989	7.53
3.	भेड़ा–भेंड़ी	65069189	308953	0.47
4.	बकरा–बकरी	135173093	8013936	5.93
5.	सूकर	10293695	175253	1.70
6.	घोड़े–टट्टू	624732	18803	3.01
8.	खच्चर	196378	6989	3.56
9.	गधे	318787	14916	4.68
12.	ऊँट	400274	3422	0.85
कुल पशुधन		**512057301**	**36332627**	7.10
11.	कुल कुक्कुट	729209320	11904716	1.63
12.	कुल कुत्ते	11672617	433367	3.71
13,	खरगोश	591685	3679	0.62

*स्त्रोतः भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुस्तिका अनुसार

परिशिष्ठ–तीन

देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश के पशु उत्पादों अनुमानित दूध, अण्डा, ऊन एंव मांस (उत्पादन वर्ष 2014–15) की स्थिति

क्रं0	प्रदेश	दूध उत्पादन (000मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000में.टन में)	ऊन उत्पादन (000कि.ग्रामें)
1	आन्ध्र प्रदेश	9656	130958	528	778
2	तेलंगाना	4207	106185	505	4423
2	विहार	7775	9845	294	278
3	छत्तीसगढ़	1232	14732	38	116
4	गोवा	67	75	8	0
5	गुजरात	11691	16565	34	2577
6	हरियाणा	7901	45790	381	1429
7	हिमांचल प्रदेश	1172	1084	4	1663
8	जम्मू एंव कश्मीर	1951	4958	45	8371
9	झारखण्ड	1734	4663	48	161
10	कर्नाटक	6121	43968	181	8821
11	केरल	2711	25036	446	0
12	मध्यप्रदेश	10779	11776	59	484
13	महाराष्ट्र	9542	50792	631	1386
14	उड़ीसा	1903	19245	163	0
15	पंजाब	10351	42642	237	461
16	राजस्थान	16934	13202	181	14463
17	तमिलनाडु	7132	159253	492	1
18	उत्तर प्रदेश	25198	20776	1397	1494
19	उत्तराखण्ड	1565	3697	26	469
20	पश्चिम बंगाल	4961	48136	657	740
21	अरुणाचल प्रदेश	46	417	19	24
22	असम	829	4728	43	0
23	मणिपुर	82	1129	27	0
24	मेघालय	83	1057	41	0
25	मिजोरम	20	377	13	0
26	नागालैण्ड	76	353	67	0
27	सिक्किम	50	58	3	0
28	त्रिपुरा	141	1979	34	0
29	अण्डमान निकोवार	16	861	5	0
30	चण्डीगढ़	44	169	1	0
31	दादर व नगरहवेली	9	73	0	0
32	दमन एण्ड ड्यू	1	19	1	0
33	दिल्ली	280	0	70	0
34	लक्ष्यद्वीप	4	126	0.4	0
35	पुडूचेरी	48	113	14	0
योग		**146314**	**784839**	**6691**	**48140**

भारत सरकार कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी अनुभाग

परिशिष्ठ–चार

जिलेवार अनुमानित दूध,अण्डा, ऊन एंव मांस उत्पादन की जानकारी (वर्ष 2014–15)

क्रं	जिले का नाम	दूध उत्पादन (000 मे.टन में)	अण्डा उत्पादन (लाख में)	मांस उत्पादन (000मेंटन में)	ऊन उत्पादन (000किग्रा में)
1	जबलपुर	288.73	3534.46	9.18	1.09
2	कटनी	122.97	26.61	1.03	3.71
3	बालाघाट	130.32	188.28	0.59	0.00
4	छिंदवाड़ा	178.47	384.43	0.80	0.66
5	सिवनी	129.83	123.73	0.30	0.19
6	मंडला	77.84	94.06	0.52	0.23
7	डिंडोरी	50.09	81.25	0.47	0.69
8	नरसिंहपुर	132.00	16.50	0.42	0.33
9	सागर	292.91	216.52	0.77	0.64
10	दमोह	180.44	59.13	0.35	5.99
11	पन्ना	171.38	25.61	0.39	6.97
12	टीकमगढ़	291.34	66.62	0.48	76.77
13	छतरपुर	280.60	45.13	0.38	27.41
14	रींवा	350.63	30.95	0.25	16.83
15	सींधी	293.01	220.73	0.73	21.17
16	सिंगरौली				
17	सतना	314.71	48.55	0.31	17.87
18	शहडोल	100.92	88.63	0.33	5.94
19	अनुपपुर	53.67	42.63	0.23	0.19
20	उमरिया	63.19	32.58	0.20	4.28
21	इन्दौर	397.23	1051.63	6.43	0.76
22	धार	296.47	305.57	0.88	3.61
23	झाबुआ	180.21	514.96	1.23	11.91
24	अलीराजपुर				
25	खरगौन	229.32	244.45	1.02	4.54

26	बड़वानी	138.71	357.35	0.99	4.82
27	खंडवा	156.65	58.08	1.00	0.00
28	बुरहानपुर	45.07	40.03	0.68	21.21
29	उज्जैन	489.77	70.31	0.98	5.80
30	मंदसौर	305.74	36.53	0.39	20.09
31	नीमच	174.55	12.23	0.26	11.41
32	रतलाम	211.96	71.90	1.37	6.40
33	देवास	335.00	122.42	3.56	0.01
34	शाजापुर	324.18	356.20	1.31	0.97
35	ग्वालियर	321.05	71.05	0.57	35.35
36	मुरैना	528.48	20.92	0.32	18.32
37	श्योपुर	211.59	14.09	0.29	12.38
38	भिण्ड	326.26	11.42	0.32	16.05
39	शिवपुरी	393.02	63.43	0.46	89.36
40	गुना	229.35	39.58	0.32	1.95
41	अशोकनगर	122.87	15.75	0.25	2.83
42	दतिया	187.12	10.38	0.32	15.29
43	भोपाल	188.01	2218.44	10.56	0.32
44	सीहोर	309.20	73.42	1.67	1.68
45	रायसेन	187.14	84.08	0.93	0.35
46	विदिशा	245.43	31.11	1.72	0.46
47	बैतूल	192.46	164.71	0.78	3.88
48	राजगढ़	299.85	315.64	2.08	2.74
49	होशंगाबाद	167.03	39.82	0.25	0.36
50	हरदा	82.28	33.67	0.22	0.04
	योग	**10779.07**	**11775.55**	**58.89**	**483.83**

प्रजनन योग्य गौ–भैंस की जानकारी

19वीं पशु संगणना 2012 के अनुसार प्रजनन योग्य मादाओं की जानकारी						
क्रं	जिला	संकर गाय	देशी गाय	योग	भैंस वंश	कुल प्रजनन योग्य गौ–भैंस वंश
1	अलीराजपुर	124	64409	**64533**	29532	**94065**
2	अनुपपुर	3011	79849	**82860**	16870	**99730**
3	अशोकनगर	4830	114498	**119328**	64124	**183452**
4	बालाघाट	3588	145701	**149289**	49073	**198362**
5	बड़वानी	296	112620	**112916**	60139	**173055**
6	बैतूल	10661	123578	**134239**	61944	**196183**
7	भिण्ड	4147	48105	**52252**	108154	**160406**
8	भोपाल	10880	44632	**55512**	48275	**103787**
9	बुरहानपुर	1169	36461	**37630**	20626	**58256**
10	छतरपुर	1194	121927	**123121**	120322	**243443**
11	छिंदवाड़ा	9761	186116	**195877**	67810	**263687**
12	दमोह	1815	224838	**226653**	54368	**281021**
13	दतिया	300	43524	**43824**	80226	**124050**
14	देवास	16171	110599	**126770**	131507	**258277**
15	धार	28952	187548	**216500**	110689	**327189**
16	डिण्डोरी	165	81736	**81901**	15741	**97642**
17	खण्डवा	536	99803	**100339**	66621	**166960**
18	गुना	5940	142573	**148513**	106704	**255217**
19	ग्वालियर	3050	104358	**107408**	129124	**236532**
20	हरदा	1188	48157	**49345**	38823	**88168**
21	होशंगाबाद	9127	133146	**142273**	57166	**199439**
22	इन्दौर	44411	43558	**87969**	93664	**181633**
23	जबलपुर	13625	130049	**143674**	54513	**198187**
24	झाबुआ	7271	101771	**109042**	52153	**161195**
25	कटनी	1041	135123	**136164**	23248	**159412**

26	मंडला	2522	95499	**98021**	16436	**114457**
27	मंदसौर	26836	106393	**133229**	120153	**253382**
28	मुरैना	6779	60591	**67370**	320390	**387760**
29	नरसिंहपुर	17704	109875	**127579**	65753	**193332**
30	नीमच	11451	97574	**109025**	71338	**180363**
31	पन्ना	356	152010	**152366**	72306	**224672**
32	रायसेन	6715	181122	**187837**	63384	**251221**
33	राजगढ़	6316	164591	**170907**	232480	**403387**
34	रतलाम	16128	107582	**123710**	92360	**216070**
35	रीवा	19315	312914	**332229**	82524	**414753**
36	सागर	3756	360566	**364322**	111268	**475590**
37	सतना	9846	328558	**338404**	94767	**433171**
38	सीहोर	28203	77548	**105751**	70884	**176635**
39	सिवनी	9238	128513	**137751**	59923	**197674**
40	शहडोल	2881	122041	**124922**	28735	**153657**
41	शाजापुर	15172	121356	**136528**	154906	**291434**
42	श्योपुर	259	111441	**111700**	72965	**184665**
43	शिवपुरी	7852	189301	**197153**	189757	**386910**
44	सीधी	6138	125337	**131475**	42582	**174057**
45	सिंगरौली	1242	145569	**146811**	38012	**184823**
46	टीकमगढ़	2356	125659	**128015**	118584	**246599**
47	उज्जैन	17204	101982	**119186**	166980	**286166**
48	उमरिया	403	88431	**88834**	19731	**108565**
49	विदिशा	6708	176220	**182928**	83848	**266776**
50	खरगौन	809	152558	**153367**	121632	**274999**
योग		409442	6407910	**6817352**	4173114	**10990466**

परिशिष्ट–छः

मध्यप्रदेश में 19वीं पशु संगणना 2012के अनुसार प्रति संस्थावार पशुधन की स्थिति
(दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

कं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
1	भोपाल	14	8	22	234159	10644
2	सीहोर	19	25	44	458679	10425
3	रायसेन	16	33	49	641564	13093
4	राजगढ़	20	40	60	1195668	19928
5	विदिशा	14	36	50	601441	12029
6	बैतूल	27	54	81	795234	9818
7	होशंगाबाद	16	33	49	535589	10930
8	हरदा	8	13	21	262227	12487
9	इन्दौर	18	24	42	431351	10270
10	धार	30	52	82	1266630	15447
11	झाबुआ	14	23	37	781732	21128
12	अलीराजपुर	11	19	30	810729	27024
13	खरगौन	38	33	71	1020266	14370
14	बड़वानी	25	22	47	821844	17486
15	खण्डवा	21	23	44	601022	13660
16	बुरहानपुर	8	14	22	297093	13504
17	उज्जैन	26	19	44	792771	17617
18	देवास	21	24	44	748882	17642
19	शाजापुर	26	26	52	833352	16026
20	रतलाम	21	29	47	702305	14046
21	मंदसौर	24	13	37	721011	19487
22	नीमच	17	16	33	542342	16435
23	ग्वालियर	22	19	41	596495	14549
24	शिवपुरी	29	46	74	1276576	17021
25	दतिया	12	25	37	363883	9835
26	मुरैना	24	23	47	956386	20349
27	श्योपुरकला	10	23	33	525201	15915
28	भिण्ड	21	26	46	435969	9276
29	गुना	15	39	54	725119	13428
30	अशोकनगर	11	25	36	452678	12574

क्रं	जिला	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	कुल संस्थाएं	पशु संख्या 2012	प्रति संस्था पशु संख्या
31	सागर	41	38	76	1164862	14745
32	दमोह	29	21	50	796732	15935
33	छतरपुर	34	35	69	849960	12318
34	टीकमगढ़	26	42	67	868195	12768
35	पन्ना	26	26	50	693403	13335
36	जबलपुर	31	31	61	571090	9211
37	कटनी	13	29	41	585010	13929
38	नरसिंहपुर	14	33	47	559356	11901
39	सिवनी	18	53	70	814054	11466
40	छिंदवाड़ा	26	69	95	1111988	11705
41	बालाघाट	26	47	72	950343	13018
42	मण्डला	25	31	56	531018	9482
43	डिण्डोरी	12	23	35	490734	14021
44	रींवा	41	58	99	1323162	13365
45	सतना	27	61	87	1327461	15085
46	सींधी	24	41	65	754098	11602
47	सिंगरौली	19	19	38	866924	22814
48	शहडोल	23	34	57	709913	12455
49	उमरिया	13	17	30	458055	15269
50	अनुपपुर	15	24	39	478071	12258
	योग	**1061**	**1537**	**2577**	**36332627**	**13985**